breakthrough

unicef
unite for children

मॉड्यूल 11

समुदायिक संगठन टूल

अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं हेतु क्षमता संवर्धन माड्यूल

बाल विवाह एवं हिसा के मुद्दों का समाधान करना

किशोरवय सशक्तिकरण टूलकिट

© यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ)
© ब्रेकथ्रू

इस प्रकाशन को शिक्षा या लाभ रहित उद्देश्य हेतु पुनः उत्पादन कॉपीराइट धारक के अनुमति के बिना किया जा सकता है यदि इसके स्रोत को मान दें।

इंगित संसकरण:
“किशोरवय सशक्तिकरण टूलकिट” 2016, नई दिल्ली : यूनिसेफ एवं ब्रेकथ्रू
यूनिसेफ एवं ब्रेकथ्रू को ऐसे प्रतिलिपि को पाकर खुशी होगी जो इस प्रकाशन को स्रोत के तौर पर इस्तेमाल कर रहें हों।

यदि इस प्रकाशन को किसी भी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है तो लिखित में अनुमति की जरूरत पड़ेगी।

अनुमति एवं अन्य सवालों के लिए संपर्क करें:
newdelhi@unicef.org

सामनेवाले कवर का फोटो
© Breakthrough/India

© Breakthrough/India

मॉड्यूल 11

अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं हेतु क्षमता संवर्धन मॉड्यूल

बाल विवाह तथा हिंसा से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के संबंध में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाने एवं प्रशिक्षण में सामुदायिक कार्यकर्ताओं एवं प्रशिक्षकों हेतु स्त्रोत पुस्तिका।

विषय सूची

युनिसेफ	पृष्ठ 3
ब्रेकथ्रू	पृष्ठ 4
बाल विवाह तथा हिंसा का समाधान के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओ के साथ मिलकर कार्य करना	पृष्ठ 6
यह मॉड्यूल अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं हेतु क्यों तैयार किया गया है?	पृष्ठ 6
अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने के लिए किन कारकों पर विचार किया गया?	पृष्ठ 7
कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण माड्यूल हेतु मुख्य क्षमता संवर्धन की जरूरतें क्या हैं?	पृष्ठ 7
अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल की अवधि और डिलवरी मोड क्या है?	पृष्ठ 7
अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के इस प्रशिक्षण मॉड्यूल में सत्रों को किस प्रकार संचालित किया जा सकता है?	पृष्ठ 8
बाल विवाह के लिए प्रयुक्त विभिन्न शब्द कौन से हैं?	पृष्ठ 9
सत्र	पृष्ठ 10
सत्र 1: परिचय, आइस ब्रेकर और मूल नियम	पृष्ठ 11
सत्र 2: मानवाधिकारों को समझना	पृष्ठ 13
सत्र 3: सामाजिक लिंग और लिंग को समझना	पृष्ठ 15

सत्र 4: सामाजिक लिंग और विकल्प	पृष्ठ 17
सत्र 5: एक बेटे की अहमियत और एक बेटी की अहमियत	पृष्ठ 19
सत्र 6: बाल विवाह: मानव अधिकारों का उल्लंघन	पृष्ठ 21
सत्र 7: बाल विवाह के लिए दिए जाने वाले कारण	पृष्ठ 24
सत्र 8: अनुमान एवं वास्तविकता	पृष्ठ 26
सत्र 9: लिंग-पक्षपात का प्रभाव, भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ	पृष्ठ 28
सत्र 10: हमारी भूमिका	पृष्ठ 30
सत्र 11: बाल विवाह का समाधान के लिए रणनीतिक नियोजन	पृष्ठ 32
सत्र 12: मैं क्या कर सकता हूं?	पृष्ठ 34
संलग्नक	पृष्ठ 38
संलग्नक 1: मानव अधिकार क्या हैं?	पृष्ठ 39
संलग्नक 2: बाल विवाह: मानव अधिकारों का उल्लंघन?	पृष्ठ 41
संलग्नक 3: रोल-प्ले	पृष्ठ 43
संलग्नक 4: सहभागियों द्वारा शपथ ग्रहण	पृष्ठ 44

यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ)

190 देशों और क्षेत्रों में बच्चों को बचपन से लेकर किशोरावस्था तक उनके जीवन का बचाव और उसके पनपने के लिए कार्य करती है। विकासशील देशों को दुनिया के सबसे बड़े टीका प्रदाता के रूप में कार्य करते हुए यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण, अच्छा जल एवं सौच सुविधा, सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण बुनियादि शिक्षा तथा हिंसा, शोषण और एड्स से रक्षा करती है। यूनिसेफ पूर्णतया व्यक्तियों, व्यापार संस्थानों और सरकारों द्वारा स्वेच्छा से दिये गए वित्तिय योगदान से पोषित है।

www.unicef.in

/unicefindia
@UNICEFIndia

United Nations Children's Fund, 73 Lodi Estate, New Delhi 110 003, India
☎ 91-11-24690401 91-11-24627521

newdelhi@unicef.org

ब्रेकथ्रू एक मानवाधिकार संस्था है

जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम करती है। कला, मीडिया, लोकप्रिय संस्कृति और सामुदायिक भागीदारी से हम लोगों को एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें हर कोई सम्मान, समानता और न्याय के साथ रह सके।

हम मल्टीमीडिया अभियानों के माध्यम से इन मुद्दों को मुख्य धारा में ला रहे हैं। इसे देश भर के समुदाय और व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक बना रहे हैं। इसके साथ ही हम युवाओं, सरकारी अधिकारियों और सामुदायिक समूहों को प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे एक नई ब्रेकथ्रू जनरेशन सामने आए जो अपने आस-पास की दुनिया में बदलाव ला सके।

www.inbreakthrough.tv

/BreakthroughIN
@INBreakthrough

E-1A, First Floor, Kailash Colony, New Delhi 110 048, India
☎ 91-11-41666101 🖷 91-11-41666107

✉ contact@breakthrough.tv

© UNICEF/India/Altaf Qadri

बाल विवाह तथा हिंसा का समाधान के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्य करना

यह मॉड्यूल अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं हेतु क्यों तैयार किया गया है?

अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता समुदायों के सबसे करीब होते हैं और सामाजिक बदलाव के प्रथम हस्तक्षेपकर्ता और वाहक होते हैं। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता अधिकांशत: उसी समुदाय के सदस्य होते हैं जिनके साथ वे कार्य करते हैं जबकि अध्यापकों का विद्यार्थियों के साथ घनिष्ठ संपर्क होता है और किशोरवय जीवन पर इनका पर्याप्त प्रभाव होता है। इन हितधारकों को अपने समुदायों के दृष्टिकोणों और व्यवहारों के बारे में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है और भेदभावपूर्ण मानकों, विशेषकर बाल विवाह के मुद्दे को बदलने में इनमें सबसे अधिक क्षमता होती है। बाल विवाह का समाधान करने की प्रक्रिया में ये महत्वपूर्ण हितधारक होते हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि उनके साथ मिलकर बाल विवाह के हानिकारक प्रभावों के बारे में उनकी जानकारी को बढ़ाया जाए। साथ ही, इस जटिल समस्यान को कम करने के लिए उनके कौशल को बढ़ाकर, हम बाल विवाह की समस्या के स्थाई हल निकालने में सक्षम होंगे। प्रशिक्षण मॉड्यूल इन्हीं अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य है -

- मानव अधिकारों के बारे में सही समझ विकसित करें और ये कि बाल विवाह के मुद्दे से इसका क्या सम्बन्ध है। इस समझ में ऐसे तरीके भी शामिल होंगे जिनमें जिनसे लैंगिक भूमिकाओं से महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और वे अपनी क्षमता को पूर्णत: प्राप्त नहीं कर पाती।
- बाल विवाह के व्यापक प्रचलन कारणों के बारे में जागरुकता फैलाएं। सहभागी समाज से प्राप्त इन संदेशों का विश्लेषण करने में सक्षम होंगे कि महिलाओं को कौन सी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, जोकि आंतरिक रूप से इस बात से जुड़ा है कि परिवार अपनी पुत्री का विवाह जल्दी क्यों कर देते हैं। इस समझ के साथ, सहभागी प्रचलित मानसिकता के विरुद्ध अपने तर्कों की रूपरेखा तैयार करने और इस तरह बाल विवाह का समाधान करने की दिशा में कार्य करने में सक्षम होंगे।
- इस संबंध में स्पष्ट कार्ययोजनाएं तैयार करने के लिए सहभागियों को प्रोत्साहित करें कि वे किस प्रकार अपने समुदायों में हस्तक्षेप करेंगे, विविध हितधारकों तक पहुंचेंगे (जैसे कि पुलिस, धार्मिक नेता, और पंचायत सदस्य) और इस हानिकारक प्रथा के विरुद्ध कैसे अपनी आवाज उठाएंगे।

यह प्रशिक्षण मॉड्यूल उस वृहद टूल-किट का एक भाग है जिसमें किशोरियों और किशोरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल और हितधारकों जैसे कि धार्मिक नेता, पंचायत सदस्य, सीएमपीओ और पुलिस व माता-पिता के लिए जोखिम कम करने हेतु मॉड्यूल दिए गए हैं।

अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने के लिए किन कारकों पर विचार किया गया?

मुद्दों को स्थापित करने और बाल विवाह का समाधान करने के लिए समुदायों के साथ कार्य करने में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की क्षमता संवर्धन की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रेकथ्रू और यूनिसेफ द्वारा आयोजित प्रारम्भिक शोध अध्ययन भेजे गए। यूनिसेफ और ब्रेकथ्रू में मुद्दे के विषय विशेषज्ञों के साथ गहन चर्चाओं के माध्यम से इन रिपोर्टों के संकलन की पुष्टि हुई।

मॉड्यूल तैयार करते समय निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों तथा हितधारकों जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं से संबंधित क्षमता संवर्धन की जरूरतों पर गहनता से विचार किया गया। सत्रों का निर्माण करते समय बाल विवाह के लिए मजबूर किए जाने वाले युवा लड़कों और लड़कियों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों पर भी विचार किया गया:

- कम उम्र में शादी करने के जोखिम का सर्वाधिक सामना 13-18 वर्ष की किशोरियां करती हैं और यौन हिंसा के साथ-साथ घरेलू हिंसा को भी झेलती हैं।
- इनकी अधिकांश संख्या ग्रामीण और अर्द्ध-नगरीय समुदायों में है लेकिन ये केवल इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं है।
- वे कम शैक्षिक सुविधाओं और आजीविका अवसरों वाले क्षेत्रों में रहती हैं।
- शिक्षा व आजीविका चुनने तथा जीवनसाथी का चुनाव, बच्चे होने, घर के खर्च का प्रबंध करने आदि से संबंधित निर्णय लेने में उनकी क्षमताएं एवं शक्तियां सीमित होती है।
- वे बाल विवाह, दहेज और लैंगिक भेदभाव के पुराने रीति-रिवाजों का शिकार होती हैं।
- उनसे बेटियों/बहू/पत्नी/मां के रूप में महिलाओं से जुड़ी पुरानी सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरने की उम्मीद की जाती है।
- अधिकांशत: उनकी अहमियत, आत्मसम्मान व आत्महविश्वास भी कम होता है।
- उनमें सौदेबाजी का कौशल भी बहुत कम दिखता है ।
- 14-20 वर्ष के किशोर भी युवा लड़कियों जितनी ही कम उम्र में विवाह हो जाने के जोखिम का सामना करते हैं।
- वे प्राय: ऐसे परिवेश में पलते-बढ़ते हैं जहां यौन हिंसा के साथ-साथ घरेलू हिंसा असामान्य नहीं है। इससे ऐसे मामलों में उनमें लापरवाही आ जाती है ।
- इनकी अधिकांश संख्या ग्रामीण और अर्द्ध-नगरीय समुदायों में है लेकिन केवल इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं है।
- ये, विशेषकर लड़कियां, सीमित शैक्षिक सुविधाओं और आजीविका अवसरों वाले क्षेत्रों में रहते हैं ।
- सामाजिक लिंग और लिंग के बारे में उनकी धारणाएं प्राय: भेदभावपूर्ण होती हैं, जिससे लड़कियों/महिलाओं के प्रति लिंग-भेदभाव के सूक्ष्म या प्रत्यक्ष रूप सामने आते हैं।
- वे बाल विवाह, दहेज और बच्चों में लिंग-भेदभावपूर्ण सेक्स चयन की पुरानी मान्यताओं के अधीन होती हैं।
- उनसे पुत्र/दूल्हा/पति/पिता के रूप में पुरुषों द्वारा सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरने की उम्मीद होती है।
- हितधारक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हालाँकि बाल विवाह और उसके प्रभाव के बारे में जागरूक होते हैं, उन्हें समुदाय में इस जटिल मसले पर चर्चा के लिए टूल्स और बातचीत के बिन्दुओं की जरूरत पड़ती है। साथ ही उन्हें पितृसत्ता, बाल विवाह, घरेलू हिंसा और अधिकारों के उल्लंघन के बीच कड़ियों पर एक समग्र समझ की भी आवश्यकता है।

अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और एनजीओ सहयोगियों को समुदाय के कई हितधारक समूहों के साथ कार्य करने की जरूरत है, जैसे युवा और किशोरियां, पुरुष व महिलाएं, अध्यापक व सेवा प्रदाता, समुदाय व धार्मिक नेता, निर्वाचित प्रतिनिधि, जरूरी सरकारी अधिकारी और दूसरे सीएसओ सहयोगी प्रतिनिधि। चूंकि बाल विवाह का मुद्दा बेहद पेचीदा है और कई कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए हितधारकों का पूर्ण प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है।

कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण माड्यूल हेतु मुख्य क्षमता संवर्धन की जरूरतें क्या हैं?

अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (बाल विवाह का समाधान करने के लिए समुदायों के साथ मिलकर कार्य करने में सक्षम होने के कारण) की क्षमता संवर्धन जरूरतों का उद्भव क्षेत्रस्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन के माध्यम से किए गए प्रारम्भिक शोध के निष्कर्षों और आनुभविक ज्ञान के फलस्वरूप हुआ है।

I. सामाजिक लिंग और लिंग-भेदभाव को समझना
II. बाल विवाह के जरिए मानव अधिकारों का उल्लंघन
III. बालिका को अहमियत देना
IV. बाल विवाह का उन्मूलन करने के लिए कई हितधारकों के साथ काम करना

अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल की अवधि और डिलवरी मोड क्या है?

क्षमता संवर्धन मॉड्यूल की कुल अवधि लगभग 12 घंटे है जो 12 सत्रों में बंटा हुआ है। डिलवरी मोड के अन्तर्गत अनुदेशक द्वारा संचालित एक अनौपचारिक कक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसमें 20-25 सहभागी प्रशिक्षुओं के छोटे-छोटे समूह शामिल होंगे। सत्रों का निर्माण करने में सहभागी प्रशिक्षण विधियां प्रयुक्त की गई हैं। इसमें केस स्टडी, समूह-चर्चाओं और विचार-विमर्श, समूह प्रस्तुति और रोल प्ले आदि को

शमिल किया गया है। कई सत्रों में एवी क्लिप्स को भी शामिल किया गया है जिन्हें लोकप्रिय मीडिया जैसे कि टीवी कार्यक्रमों के जरिए तैयार किया गया है। हालांकि इस मीडिया के उपयोग से सहभागिता बढ़ेगी और मॉड्यूल में रुचि बनी रहेगी, फिर भी एवी क्लिप्सि का उपयोग संभव न होने की दशा में वैकल्पिक उपायों को सूचीबद्ध किया गया है।

इन सत्रों के अनुदेशकों के रूप में स्थानीय एनजीओ सहयोगियों या एनजीओ सहयोगियों द्वारा प्रशिक्षित वरिष्ठ अध्यापकों के प्रशिक्षकों के समूह पर विचार किया गया है जो क्षेत्रीय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों से परिचित होते हैं और जिन्होंने बाल विवाह तथा लिंग-आधारित हिंसा के विरुद्ध हस्तक्षेपों को लागू करने में सक्रिय भागीदारी की है।

सत्र	संवर्धन जरूरतों पर आधारित प्रशिक्षण की विषयवस्तु	अवधि
सत्र 1	परिचय, आइस ब्रेकर और मूलभूत नियम	20 मिनट
सत्र 2	मानवाधिकारों को समझना	90 मिनट
सत्र 3	सामाजिक लिंग और लिंग को समझना	60 मिनट
सत्र 4	सामाजिक लिंग और विकल्प	45 मिनट
सत्र 5	एक पुत्र की अहमियत और एक पुत्री की अहमियत	45 मिनट
सत्र 6	बाल विवाह: मानवाधिकारों का उल्लंघन	90 मिनट
सत्र 7	बाल विवाह के लिए दिए जाने वाले कारण	60 मिनट
सत्र 8	अनुमान एवं वास्तविकता	60 मिनट
सत्र 9	लिंग-पक्षपाती भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों का प्रभाव	45 मिनट
सत्र 10	हमारी भूमिका	45 मिनट
सत्र 11	बाल विवाह के समाधान के लिए रणनीतिक नियोजन	60 मिनट
सत्र 12	मैं क्या कर सकता हूं	60 मिनट
	कुल अवधि	12 घंटे

कृपया ध्यान दें: 5 अलग-अलग सत्रों के लिए एवी (AV) क्लिप्स की सलाह दी गई है। ये टूल-किट में शामिल एक सीडी (CD) में अलग से दी गई हैं। एवी क्लिप्स के शीर्षक हैं:

सत्र 4 - सामाजिक लिंग और विकल्प

सत्र 5 - सामाजिक लिंग भूमिकाओं से परिचय एवं सामाजीकरण

सत्र 7 - बाल विवाह के लिए दिए जाने वाले कारण

सत्र 9 - इरफान खान बाल विवाह के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज करते हैं

सत्र 9 - विवाह- अन्येष्टि वीडियो

सत्र 11 - बाल विवाह- हितधारक

अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के इस प्रशिक्षण मॉड्यूल में सत्रों को किस प्रकार संचालित किया जा सकता है?

इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के अंतर्गत सत्रों को आयोजित करने के लिए ये सरल चरण अपनाए जा सकते हैं:

- सत्र योजनाएं देखें और आयोजित किया जाने वाला सत्र चुनें। कुछ सत्र अध्याशकों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (महत्वपूर्ण हितधारक जो समय से पूर्व विवाह करने के लिए पढ़ाई छोड़ देने वाली लड़कियों के प्रथम जानकार होते हैं) के साथ बहुत ही अच्छी तरह से कार्य करते हैं। हालांकि, सत्र आसानी से संशोधित या आयोजित किए जा सकते हैं क्योंकि वे मॉड्यूल में दूसरे हितधारकों के साथ दिए गए हैं।
- सभी सत्रों में ये श्रेणियां हैं- 'इसका उपयोग करें' आवश्यक सामग्री को इंगित करता है; सहभागियों के लिए समस्त निर्देश प्रथम पुरुष में लिखे हैं; 'यह चर्चा करें' सहभागियों से पूछे जाने वाले चर्चा के प्रश्नों को इंगित करता है; और 'चिंतन प्रेरित करें' अनुदेशकों की टिप्पणियों की ओर इंगित करता है।
- सत्र योजना को सावधानीपूर्वक पढ़ें और सत्र संचालित करने के लिए आवश्यक सामग्री तथा जरूरी तैयारी को भली-भांति लिख लें। इसमें विशेष रूप से शामिल हैं- सीखने वालों के लिए पर्चों (संलग्नक में दिए हैं) की प्रतिलिपियां तैयार करना, अनुदेशक की टिप्पणियों को समझना या स्थानीय सूचना को इसमें शामिल करना और समूह क्रियाकलापों के लिए कोई अन्य सामग्री जुटाना।
- इसके बाद, उद्देश्य, पद्धति/कार्यविधि/चरण, मुख्य चर्चा बिन्दु और अनुदेशक की टिप्पणियां पढ़ें और उन्हें भली-भांति समझ लें। ध्यान रहे, यह मॉड्यूल केवल एक दिशानिर्देश है और इसमें सुधार किया जा सकता है जो मौजूद समय, सीखने वाले की प्रोफाइल और प्रशिक्षण सन्दर्भों के बदलने पर निर्भर करता है।
- विशेष रूप से इस बात की अनुशंसा की जाती है कि प्रशिक्षण चरणों वाली एक लघु टिप्पणी तैयार की जाए जो सत्र को आयोजित करते समय चर्चा बिंदु /संकेत प्रदान कर सके।
- अध्यायकों, एनजीओ और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के समूहों के साथ सत्र आयोजित करने के लिए सीखने वालों के लिए पर्चे, सामूहिक क्रियाकलाप हेतु सामग्री और लघु प्रशिक्षण टिप्पणी साथ ले जाएं।

बाल विवाह के लिए प्रयुक्त विभिन्न शब्द कौन से हैं?

इस सन्दर्भ में प्राय: तीन शब्द परस्पर दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं- जबरन विवाह, बाल विवाह और कम उम्र में विवाह।

कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड (सीआरसी) एक बच्चे को "अठारह वर्ष से कम आयु वाले एक मनुष्य के रूप में परिभाषित करती है, जब तक कि बच्चे पर लागू कानून के अन्तर्गत पहले वयस्कता न प्राप्त कर ले।" चूंकि भारत में, वयस्कता 18 वर्ष की आयु पर प्राप्त होती है, इसलिए इस आयु से पहले विवाह को बाल विवाह कहा जा सकता है।

जबरन विवाह का संबंध मानव अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुच्छेद 16 (2) से है: "जीवनसाथी चाहने की स्वतंत्र एवं पूर्ण सहमति से ही विवाह संपन्न किया जाएगा। इसलिए जबरन विवाह एक ऐसा विवाह होता है जिसमें जीवनसाथी में से एक या दोनों अपनी स्वतंत्र एवं पूर्ण सहमति नहीं प्रदान करते"

कम उम्र में विवाह का आशय केवल आयु से ही नहीं है, बल्कि इसमें दूसरे अन्य कारकों को भी जोड़ा जा सकता है जो किसी व्यक्ति को विवाह में सहमति के लिए अपरिपक्व, बनाते हैं। उन कारकों में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, लैंगिक और मनोसामाजिक विकास, शैक्षिक व अन्य आकांक्षाओं के स्तर तथा व्यक्ति के जीवन विकल्पों के संबंध में जानकारी के अभाव को शामिल किया जा सकता है।

"25 सितम्बर 2013 को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने बाल, कम उम्र में एवं जबरन विवाह की रोकथाम करने तथा इनका उन्मूलन करने के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिसके द्वारा, सामूहिक रूप से इन सभी तीनों मुद्दों का पाया जाना न केवल मानव अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि उल्लंघन के प्रचारक के रूप में कार्य करता हैं। नि:सन्देह रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है बाल विवाह, जबरन विवाह और कम उम्र में विवाह की समस्या का उन्मूलन करने के लिए तरीकों को प्रकृति में काफी एक जैसा डिजाइन किया जा सकता है।

चूंकि इस कार्यक्रम के मुख्य लाभार्थी समूह किशोरवय हैं (आयु ~14 वर्ष से ~18 वर्ष), इसलिए पूरी टूल-किट और दूसरे संबंधित दस्तावेजों में बाल विवाह शब्द का परस्पर एक-दूसरे के स्थानों पर और लगातार प्रयोग किया गया है।"

[1]देखें A/HRC/24/L.34 (http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/L.34/Rev.1)

© Breakthrough/India

सत्र

सत्र

1

20 मिनट

परिचय, आइस ब्रेकर और मूल नियम

आवश्यक सामग्री

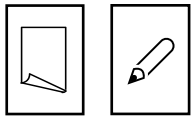

फ्लिप चार्ट मार्कर पेन

उद्देश्य :

इस सत्र के समापन पर, सहभागी एक-दूसरे के साथ सहज और परिचित होंगे, और कार्यशाला हेतु सामान्य मूलभूत नियम स्थातपित कर पाएंगे।

क्रियाविधि :

- आप सभी का स्वागत है, आइए और आराम से बैठ जाइए।
- "कृपया हमें अपना नाम, अपने एक अच्छे गुण के बारे में बताएं, और यह भी बताएं कि आप यहां क्यों आये हैं।"
- मूलभूत नियम तय करें।

"आइए, ऐसे मूलभूत नियमों की एक सूची बनाएं जिनका इस कार्यशाला के दौरान हम सभी पालन करेंगे।"

अनुशंसित आधारभूत नियम :

सम्मान — जो व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, उस पर पूरा-पूरा ध्यान दें। सत्र के दौरान अनावश्यक बातचीत या मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें।

गोपनीयता — इस समूह में साझा की जाने वाली बातें इस समूह तक ही रहेंगी।

खुलापन — जितना संभव हो, खुल कर बोलेंगे और ईमानदार रहना होगा, लेकिन हम यहां पर दूसरों (परिवार, पड़ोसी और मित्र) के व्यक्तिगत या निजी मुद्दों या जिन्दगी को उजागर नहीं करेंगे या इस सबंध में चर्चा नहीं करेंगे।

सामान्य उदाहरणों के रूप में स्थितियों पर चर्चा करना उचित है लेकिन नाम या दूसरे की पहचान का उपयोग नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, हम यह नहीं कहेंगे कि, “मेरे सहकर्मी ने .....किया”

आलोचनात्मक दृष्टिकोण — हम किसी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण या व्यवहार से असहमत हो सकते हैं, इसके लिए हमें उसकी आलोचना करने या उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है।

विविधता के प्रति संवेदनशीलता — हमें ध्यान रखना होगा कि समूह में सदस्यों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग-अलग हो सकती है। असंवेदनशील या लापरवाह टिप्पणियों से हमें बचना होगा।

पास करना — यदि आप किसी जानकारी को साझा करने में सहज नहीं है, तो उसे आगे पास कर दें।

नाम गुप्त रखना — बिना नाम से (सुझाव या टिप्पणी बॉक्स का प्रयोग करके) प्रश्न पूछना सही है, और अनुदेशक सभी प्रश्नों का जवाब देंगे।

स्वीकार्यता — असहज महसूस होना सही है। संवेदनशील और निजी मामलों पर बात करते हुए हम में से सभी, युवा और बुजुर्ग असहज महसूस कर सकते हैं।

मज़े करें — कार्यक्रम का आशय एक समुदाय के रूप में एक साथ मिलकर रहना और एक-दूसरे के साथ काम करते हुए आनंदित होना भी है।

© Breakthrough/India

सत्र

2

90 मिनट

मानवाधिकारों को समझना

आवश्यक सामग्री

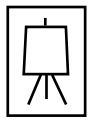

फ्लिप चार्ट

कला का सामान/ मार्कर पेन

संलग्नक - संलग्नक 1: मानव अधिकार क्या हैं? की प्रतियां

उद्देश्य :

सत्र के समापन पर, सहभागियों के पास मानव अधिकारों के सिद्धान्तों का एक सिंहावलोकन होगा और वे मानव अधिकारों और बाल विवाह के बीच कड़ी स्थापित करने में सक्षम होंगे।

1 क्रियाविधि :

- समूहों में चर्चा करें: सहभागियों को 4 समूहों में बांटें और उन्हें फ्लिप चार्ट और मार्कर्स दें।

"हमारे लिए, विशेषकर लड़कियों और लड़कों के सन्दर्भ में सम्मानपूर्वक जीवनयापन के लिए, आवश्यक सभी मानव अधिकारों की एक विस्तृत सूची बनाएं"

"अधिकारों के साथ-साथ, उन मानव अधिकारों के लिए जरूरी अवसरों/ सुविधाओं की एक सूची भी तैयार करें।"

"इसके बाद, ये सूची बनाएं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कौन उत्तरदायी है कि ये अधिकार मिल सकें"

प्रतिक्रियाएं इकट्ठा करें: सभी समूहों के प्रस्तुतिकरण फ्लिपचार्टों को दीवार पर चिपकाएं। शंकाओं का समाधान करें और प्रश्नों के जवाब दें।

चिंतन करें:

- ऐसा क्या है जो सभी प्रस्तुतियों में शामिल है? क्या कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सभी समूह प्रस्तुतियों में मौजूद हैं? यह समानता हमारे समुदायों के बारे में हमें क्या जानकारी प्रदान करती है?

- ये अधिकार एक-दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं?
- कौन से अधिकार विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण हैं? क्या हमारे समुदायों में महिलाओं और लड़कियों को ये अधिकार प्राप्त हैं?
- जब किसी लड़के और/या लड़की को कम उम्र में विवाह के लिए जबरन तैयार किया जाता है, तो किन मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है?
- इस उल्लंघन के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं?
- लड़कियों और लड़कों को कम उम्र में विवाह से बचाना और उन्हें संरक्षण देना किन लोगों का कर्तव्य है?

चर्चा करें:

मानव अधिकारों के तीन मूलभूत सिद्धान्त हैं- सभी अधिकारों की सार्वभौमिकता, अखण्डता और अन्तपर-अनुभागीयता।

सभी अधिकार सार्वभौमिक हैं और इनसे सभी लोगों का संबंध है। यह सभी मनुष्यों पर लागू हैं, चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति, लिंग, नस्ल, क्षेत्र के हों, विकलांग हों, लैंगिक संरचना चाहे कुछ भी हो या कोई अन्यत हों। हम सभी को उन वैश्विक मानकों के निर्माण में सक्रिय भागीदार होना चाहिए जिसके द्वारा हम सरकारों, समुदायों और स्वयं को जवाबदेह ठहराते हैं ।

मानव अधिकार अखण्ड हैं। राजनीतिक सहभागिता, बोलने की आजादी और धार्मिक अभिव्यक्ति की तरह ही उचित भोजन, घर और रोज़गार भी महत्वपूर्ण है। अधिकारों का पदानुक्रम नहीं होना चाहिए जहां एक अधिकार दूसरे पर विशेषाधिकार प्राप्त कर ले।

मानव अधिकार हमारे विविध एवं अन्त्र-अनुभागीय इकाइयों में परिलक्षित होने चाहिए। हमें मानवाधिकारों के अपने अनुभव में समानताओं और विभिन्नताओं को समझने के लिए, लिंग, वंश, लैंगिकता, वर्ग, भौगोलिक अवस्थिति और धर्म जैसे कारकों को शामिल करना चाहिए जो हमारी पहचान सुनिश्चित करते हैं।

अन्तर-अनुभागीयता यह समझने का एक तरीका भी है कि किस प्रकार व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन होने के बावजूद उन्हें सत्ता और विशेषाधिकार मिल सकता है। उदाहरण के लिए, एक निर्धन, दलित आदमी जो अपनी जाति और आर्थिक वर्ग के आधार पर हिंसा सहन करता है, फिर भी अपने लिंग के कारण शक्ति और विशेषाधिकार हासिल कर सकता है। अपने लिंग के कारण हिंसा का सामना करने वाली कोई महिला अपने आर्थिक वर्ग के कारण शक्ति प्राप्त कर सकती है। यदि हमको मानव अधिकारों को उन्नत बनाने में सहभागी बनना है तो, हमें अपनी सत्ता और विशेषाधिकारों को पहचानना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए।

मानव अधिकार बहुत ही अहम अवधारणा हैं जो हमारे जीवन से घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। वे केवल सैद्धान्तिक ढांचा ही नहीं हैं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर लागू भी हैं। हमारी प्रस्तुतियों में सभी अधिकार इस बात का प्रमाण हैं। एक निकाय के रूप में मानव अधिकारों में अधिकारों की एक व्यापक श्रृंखला है, जिसमें स्वास्थ्य के अधिकार से लेकर शिक्षा का अधिकार और उत्पीड़न एवं हिंसा से मुक्ति के विकल्पों का चयन करना सभी कुछ शामिल है।

मानव अधिकार एक-दूसरे पर परस्पर संबंधित एंव निर्भर हैं। इस पारस्परिक निर्भरता का अर्थ यह है कि यदि किसी एक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो इसी के साथ कई दूसरे अधिकारों का भी उल्लंघन होता है। उदाहरण के लिए, यदि महिलाओं और लड़कियों को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में सूचना का अधिकार प्राप्त नहीं है, तो उन्हें परिवार नियोजन विकल्पों के विषय में जानकारी नहीं होगी और इस प्रकार वे इस सन्दर्भ में उपयुक्त निर्णय नहीं ले पाएंगी। विवाह करने और बच्चे पैदा करने के अपने अधिकार से संबंधित जानकारी और स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों के बारे में उन्हें किस प्रकार सूचित किया जाएगा? यदि किसी लड़की का कम उम्र में ही विवाह हो जाता है, तो जल्दी बच्चें पैदा करने के कारण उसे मातृत्व संबंधी स्वास्थ्य की जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है।

मानव अधिकारों के कर्तव्यधारकों (अर्थात वे लोग जो "कौन उत्तरदायी है" सूची में हैं) में विविधता है और जिनमें हम सभी शामिल हैं! मानव अधिकारों को साकार करने की प्रक्रिया में हम सभी हितधारक हैं। कर्तव्यधारकों की सूची में पात्रों की एक व्यापक श्रृंखला है, जिसमें परिवार के सदस्य, समुदाय, संस्थान जैसे कि विद्यालय और स्वास्थ्य केन्द्र व राज्य् शामिल हैं।

कम उम्र में विवाह या बाल विवाह कई मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यदि कोई लड़की कम उम्र में विवाह कर लेती है, तो उसके कई मानव अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है – उदाहरण के लिए, वह अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाती; जल्दी बच्चे पैदा होने से उसे खराब स्वास्थ्य का सामना करना पड़ सकता है और गर्भावस्था और/या बच्चे के जन्म के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने की काफी संभावना रहती है; हो सकता है कि वो अपने संबंधों की ज़िम्मेदारी को पूरा करने या इस बारे में बातचीत के लिए सक्षम न हो, और इस वजह से उसे घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ सकता है ; और अंततः, बिना मर्जी के विवाह करने से हिंसा और उत्पीड़न से मुक्ति के उसके विकल्प चुनने के अधिकार का हनन हो जाएगा।

सत्र

3

60 मिनट

सामाजिक लिंग और लिंग को समझना

आवश्यक सामग्री

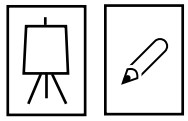

व्हाइट बोर्ड

कला का सामान/ मार्कर पेन

उद्देश्य :

सत्र के समापन पर सहभागी लिंग और सामाजिक लिंग के बीच अन्तर को सूचीबद्ध करने में सक्षम होंगे और यह दिखा पाएंगे कि पुरुष और महिलाओं के रूप में उन्होंने अपनी भूमिकाएं किस प्रकार सीखी हैं और इसी लिए इन्हें चुनौती दी जा सकती है और इसी के साथ वे सामाजिक लैंगिक भूमिकाओं, सत्ता और अधिकारों के बीच की कड़ी को स्पष्ट करने में भी सक्षम होंगे।

1 क्रियाविधि :

- सहभागियों/स्वयंसेवियों के जोड़े बनाएं। प्रत्येक जोड़ा अभिनय करता है जबकि दूसरे अवलोकन करते हैं।

"संवादों के बगैर दैनिक परिस्थितियों में महिलाओं और पुरुषों के मध्य सामान्य अन्तरों पर प्रकाश डालें। (6-8 छोटे-छोटे अभिनय)"

"कृपया दूसरे पहचानें कि कौन महिला है और कौन पुरुष ।"

"आपने कैसे अनुमान लगाया कि कौन महिला है और कौन पुरुष ?"

"अब, अपने अवलोकन निम्न के नीचे लिखें – "पुरुष हैं _____"; "महिलाएं हैं _____".

- प्रतिक्रियाएं एकट्ठा करें: फ्लिपचार्ट पर सभी अवलोकनों को लिखें जिससे सभी उन्हें देखें और अपने विचार व्यक्त करें।

चिंतन करें:

- क्या कोई ऐसी विशेषताएं हैं, जो महिलाओं और पुरुष दोनों में मौजूद हों, या ऐसी विशेषताएं हैं जो किसी विशेष लिंग में ही हैं?

- यदि कोई अन्तर हैं, तो वे क्या हैं? उदाहरण के लिए, दाढ़ी होना या बच्चे पैदा करना जैविक रूप से निर्धारित है?
- यदि अजैविक गुण दोनों लिंग में मौजूद हो सकते हैं, तो दोनों के मध्य अन्तर क्यों हो जाता है?
- समुदाय, परिवार, मीडिया, विद्यालय, क्षेत्र आदि किस प्रकार हमारी सोच को तय करते हैं कि पुरुष और महिलाओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए?
- महिलाएं और पुरुष कैसे व्यवहार करें, यह अनुमान हमारे जीवन को किस प्रकार सीमित करता है और अधिकारों के उल्लंघन का कारण बनता है?

सुनिश्चित करें कि निम्न बिन्दु निकलकर आएं:

लिंग	सामाजिक लिंग
• जैविक है • आप इसके साथ जन्म लेते हैं • बदला नहीं जा सकता (शल्यैचिकित्सा हस्तक्षेप के बगैर) • स्थाई है	• सामाजिक रूप से निर्मित • इसे अर्जित करते हैं • इसे बदला जा सकता है। • विभिन्न समाजों, देशों, संस्कृतियों और ऐतिहासिक कालों में सामाजिक लिंग भूमिकाओं में भिन्नता है।

चर्चा करें:

भेदभाव, चाहे वह छिपाकर हो या खुलकर, समाज के सभी तबकों में विद्यमान है। सामाजिक लिंग भेदभाव होने के कारणों में से एक लोगों का लिंग और सामाजिक लिंग के संबंध में भ्रम का होना है। लिंग (आप पुरुष हैं या महिला या इंटरसेक्स) जैविक रूप से निर्धारित होता है जबकि सामाजिक लिंग समाजीकरण का एक परिणाम है। यह किसी व्यक्ति का समाजीकरण है जो पौरुष और स्त्रैत गुणों को निर्धारित करता है जिनकी समाज में व्यक्तियों से अपेक्षा होती है। सामाजिक लिंग असमानताएं इसलिए सामने आती हैं क्योंकि समाज महिलाओं से "एक निश्चित तरीके से" पेश आने की अपेक्षा करता हैं जैसे कि उन्हें अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए, उन्हें एक निश्चित आयु में विवाह कर लेना चाहिए, उन्हें अपने पतियों और सास-ससुर की सेवा करनी चाहिए, इसी प्रकार से और भी। इसी तरह पुरुषों से अपने परिवार की सुरक्षा करना अपेक्षित है; उन्हें कमाना है; उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए और उन्हें अपना शरीर बलवान बनाना चाहिए, इसी प्रकार से और भी। यदि पुरुष और महिलाएं ये भूमिकाएं अदा नहीं करते, तो उन्हें उत्पीड़न और हिंसा सहनी पड़ती है। इस प्रकार सामाजिक लैंगिक असमानता बनी हुई है।

प्रकृति लोगों में आवश्यक स्त्रैण या पौरुष गुणों का निर्धारण नहीं करती। यह केवल निर्धारित करती है कि आप जन्मजात पुरुष हैं या महिला या इंटरसेक्स्।

महिला और पुरुष सामाजिक लिंग, लोगों के नियमों और दायित्वों के पहलुओं में फर्क होने के बावजूद उनपर उन्हें कायम रखने और उनके अधीन रहने का अत्यधिक दबाव होता है। लड़कियों से केवल एक पुत्री, पत्नी या मां के दायित्वों की पूर्ति की उम्मीद की जाती है। बमुश्किल उन्हें कार्य करने और आजीविका कमाने के योग्य माना जाता है। लड़कों को परिवार के लिए एकमात्र रोटी कमाने वाले और बुढ़ापे में अपने माता-पिता के सहारे के रूप में देखा जाता है। क्योंकि दहेज प्रथा के प्रचलन के कारण लड़कियों को एक वित्तीय बोझ के रूप में देखा जाता है। उन्हें अपने परिवार की 'इज्जत' बचाए रखने वाला भी माना जाता है। इन सभी पूर्वाग्रहों के चलते परिवारों में लड़कियों की और अधिकांश की सहमति के बगैर जल्दी शादी कर दी जाती है । इससे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है।

लिंग और सामाजिक लिंग के बीच अन्तर को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। भेदभाव के छिपे रूपों के बारे में जागरूक रहने के साथ-साथ हमारे घरों, समुदायों और समाज में मौजूद सत्ता् के प्रभाव को भी जानना उपयोगी है।

आपके सामाजिक लिंग के कारण निश्चित दायित्व निभाने या आपसे निश्चित अपेक्षाएं होने से आपके अधिकारों का हनन हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी संस्कृति में जहां परिवार में पुरुषों के निर्णयों पर महिलाओं को सवाल उठाने की आजादी नहीं है, वहां उन्हें हिंसा होने पर भी मजबूरीवश शान्त रहना पड़ सकता है, इस प्रकार हिंसा से मुक्त जीवनयापन करने का उनका अधिकार खतरे में आ जाता है।

सत्र

4

45 मिनट

सामाजिक लिंग और विकल्प

आवश्यक सामग्री

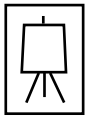
व्हाइट बोर्ड

मार्कर पेन

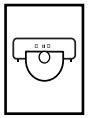
डीवीडी प्लेयर

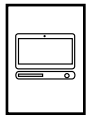
टीवी/ कंप्यूटर

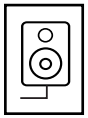
स्पीकर

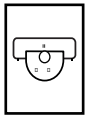
'सत्र 4- सामाजिक लिंग और चयन' शीर्षक वाली एकवी क्लिप की एक प्रति

उद्देश्य :

इस सत्र के समापन पर सहभागी महिलाओं की विकल्प चुनने की क्षमता के संबंध में चर्चा से जुड़ने के लिए मीडिया का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

1 क्रियाविधि :

*विद्युत आपूर्ति न होने पर, विकल्प B चुनें

विकल्प A:	विकल्प B:
एवी क्लिप- सामाजिक लिंग और विकल्प	स्वयंसेवियों से तीन जोड़े बनाने के लिए कहें। पहले जोड़े में एक लड़की और उसकी मां है; दूसरे में एक लड़का और उसका पिता है; तीसरे जोड़े में दो युवा महिलाएं हैं एक नाटक का अभिनय करें जिसमें एक-दूसरे से बातचीत करें कि अगर विवाह हो तो आपके पास कितना अधिकार है

चिंतन करें :

- भारतीय संस्कृति के सन्दर्भ में क्या महिलाएं अपने अधिकारों का पालन कर सकती हैं?
- क्या इन अधिकारों की पहुंच भारत के प्रत्येक सामाजिक-आर्थिक स्तर और धर्म तक है?
- क्या लड़कियों/महिलाओं के पास निर्णय लेने का कोई विकल्प या माध्यम है या उनके माता-पिता/पति/सास-ससुर उनसे जैसा करने के लिए कहें उन्हें ठीक वैसा ही स्वीकार करना ही पड़ेगा?
- क्या होता है यदि लड़कियां इन नियमों/कायदों को मानने से मना कर देती हैं तो क्या होता है?
- क्या इसका अर्थ है कि वे अकेली रहेंगी या उन्हें 'बुरी महिला' माना जाएगा?
- यदि वे नौकरी करना या विवाह न करना चुनें, तो क्या उन्हें बुरी माताएं, बेटियां या पत्नियां समझा जाएगा?
- यदि महिलाओं को अपने जन्म वाले घर के साथ-साथ वैवाहिक घर में भी अपने विकल्पों को चुनने का अधिकार नहीं है, तो हिंसा से सामना करने की उनकी क्षमता पर इसका प्रभाव कैसा पड़ता है?
- महिलाओं को अपने जीवन में विकल्पों को चुनने के लिए और माध्यम व क्षमता कैसे हासिल हो सकती है?

चर्चा करें:

जैसे-जैसे हम बड़े होते गए, यही सुनते आए हैं कि पुरुषों और महिलाओं को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इससे असमानताएं बनी हुई हैं। विशेष रूप से महिलाओं के पास विकल्प चुनने के अवसर बहुत ही कम होते हैं क्यों कि समाज महिलाओं के बारे में जोर देकर कहता है कि महिलाओं को स्वतंत्र रूप से निर्णय करने का अधिकार नहीं है। जब भी महिलाएं इस नियम को तोड़ती हैं, उन्हें हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। और यह सभी वर्गों की महिलाओं के लिए सच है। यह एक भ्रम है कि धनी महिलाओं की तुलना में निर्धन महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं होता है।

महिलाएं चाहे धनी हों या निर्धन, विवाह के मुद्दे में उनके पास हां या नहीं कहने की गुंजाइश बहुत अधिक नहीं होती है, विशेषकर यदि उनके माता-पिता को लगे कि "अच्छा रिश्ता" आया है। हमारी परम्परा, संस्कृति और समाज यह तय करते हैं कि सभी महिलाएं एक निश्चित उम्र में शादी कर लें। उनके पतियों का घर "उनका अपना घर" माना जाता है। लड़कियों के लिए विवाह ही एकमात्र मौजूद विकल्प होता है, भले ही इसकी कीमत उन्हें अपनी पढ़ाई, रोजगार या अपने खुद के ख्वाबों और आकांक्षाओं को त्यागकर चुकानी पड़े। महिलाओं को अपने परिवार की इज्जत या सम्मान के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए, यदि वे एक निश्चित उम्र में शादी नहीं करती हैं, तो समाज मानता है कि उनके परिवारों की इज्जत कलंकित हो जाएगी। सम्मान की रक्षा करने के लिए विवाह का यह दबाव बाल विवाह का एक प्रमुख कारक है।

पुरुषों के ऊपर भी समाज के दबाव होते हैं और उनसे उन्हें आवंटित लिंग मानकों को पूरा करने की उम्मीद की जाती है। चूंकि पुरुषों से बहुत अधिक अभिव्यक्तिशील होने की आशा नहीं होती, इसलिए अपनी भावनात्मक जरूरतों के संबंध में वे अपनी राय अपने बड़ों के सामने प्रकट करने में असमर्थ हो सकते हैं। विवाह से जुड़ी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार न होने के बावजूद, वे इस डर के कारण विरोध करने में असमर्थ हो सकते हैं कि कहीं वे परिवार के सम्मान को खतरे में तो नहीं डाल रहे।

हर किसी के लिए विकल्पों का चयन कर पाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि इसके साथ दूसरे कारक भी जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, कमाई न करने वाली और दो बच्चों को पालने वाली कोई महिला एक अपमानजनक संबंध में बने रहना चुन सकती है क्योंकि पति/प्रेमी/साथी भरणपोषण, शिक्षा में मदद करता है और घर से जुड़े नगद खर्च में योगदान देता है। इसी प्रकार, कुछ लड़कियों और लड़कों के लिए दुर्व्यवहार की जानकारी देना हमेशा आसान नहीं होता, विशेषकर इस तरह का व्यवहार करने वाला यदि कोई संबंधी ही हो, क्योंकि उनके माता-पिता कोई कदम उठाने से बचते हैं या उनकी बातों से असहमत होते हैं। इसके अलावा, किसी लड़की के "कौमार्य" से जुड़ी शर्म जिसके कारण लड़की और उसके माता-पिता 'मुद्दे' पर चुप रह जाते हैं या इसे अनदेखा कर देते हैं। इससे अपमान का उनका अनुभव बड़ा ही कष्टप्रद हो सकता है।

सत्र

5

45 मिनट

एक बेटे की अहमियत और एक बेटी की अहमियत[2]

आवश्यक सामग्री

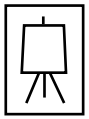
व्हाइट बोर्ड

मार्कर पेन

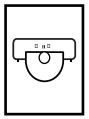
डीवीडी प्लेयर

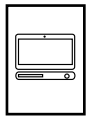
टीवी/ कंप्यूटर

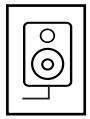
स्पीकर

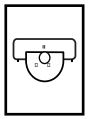
'सत्र 5- सामाजिक लिंग और चयन' शीर्षक वाली एकवी क्लिप की एक प्रति

उद्देश्य :

इस सत्र के समापन पर सहभागी परिवार और समाज में पुत्र और पुत्रियों की अहमियत का परीक्षण करने में सक्षम होंगे।

1 क्रियाविधि :

कमरे के दो अलग-अलग किनारों पर चार्ट पेपर रखें और एक पर लिखें – "एक पुत्र की अहमियत", और दूसरे पर लिखें – "एक पुत्री की अहमियत"। सभी सहभागियों को इन चार्ट पेपरों पर लिखना है।

- "संबंधित चार्ट पेपर पर, कम से कम एक कारण देते हुए लिखें कि कौन से परिवार पुत्र और पुत्रियों को अहमियत देते हैं।"
- सभी प्रतिक्रियाओं को तेज आवाज में पढें।
- 'सत्र 5- सामाजिक लैंगिक भूमिकाएं एवं समाजीकरण से परिचय' शीर्षक वाली एवी क्लिप चलाएं।[3]

चिंतन करें:

- लड़कियां और लड़के चाहने के सबसे सामान्य कारण क्यों हैं?
- किसके बारे में लिखना आसान लगा, पुत्र या पुत्री?
- आप की नजर में किसे और क्यों अधिक अहमियत दी जाती है?
- क्या सभी समुदायों के लिए परिस्थितियां सदैव एक जैसी रही हैं? ये कब भिन्न रहीं और क्यों ?
- लड़कियों और लड़कों पर इस भेदभाव का क्या असर होता है?

[2] सीईडीपीए मैनुअल "चूज़ ए फ्यूचर" से लिया गया ।

- आपके हिसाब से हम स्थिति को कैसे बदल सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि लड़कों और लड़कियों के साथ समान व्यवहार हो?

चर्चा करें :

यह हो सकता है कि प्रतिक्रियाएं सत्र 3 सामाजिक लिंग एवं लिंग में चर्चा के समान हों। परिवार पुत्र या पुत्रियों को क्यों पसन्द करते हैं, इसके पीछे के कारण प्रत्यक्ष रूप से इस सोच का परिणाम हैं कि लड़के और लड़कियां क्या करने में सक्षम हैं। उम्र बढ़ते हुए हमने इस संबंध में बहुत सुना है कि पुरुषों और महिलाओं को समाज में किन भूमिकाओं का निर्वहन करना चाहिए। यह प्रेरित करता है कि हम पुत्र या पुत्रियां क्यों पसन्द कर सकते हैं।

पुत्रों को क्यों पसन्द करते हैं, इसके कुछ सबसे सामान्य कारण हो सकते हैं- कि परम्परागत तौर पर यह माना जाता है कि पुत्र बुढ़ापे में अपने माता-पिता को सहारा देते हैं; कि वे आजीविका कमाएंगे और अपने परिवार को सहारा देंगे; कि वे पारिवारिक सम्पत्ति के अकेले उत्तराधिकारी होंगे; और कि वे परिवार के नाम को आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार, पुत्रियों को क्यों पसन्द करते हैं, इसके कुछ सबसे सामान्य कारण हो सकते हैं- कि वे भविष्य की पीढ़ी को जन्म, देंगी; कि वे परिवार की इज्जत की प्रतीक होंगी; और, कि वे अपने माता-पिता को भावनात्मक सहारा देंगी। अधिकांश मुद्दों में, परिवार पुत्रों को पुत्रियों से अधिक पसन्द करते हैं। कई दक्षिण एशियाई देशों में पुत्र-वरीयता या पुत्रियों से विमुखता सर्वाधिक सामान्य मानसिकता है। इसके प्राथमिक कारण एक जैसे हैं जो इस सत्र या सत्र 3 में सहभागियों द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। परिवार पुत्रियों से वित्तीय रूप से आत्मिनिर्भर होने या अपने परिवारों को सहारा देने की अपेक्षा नहीं करते हैं। अधिकांश माता-पिता यह सोच नहीं पाते हैं कि उनकी पुत्रियां बुढ़ापे में उनकी देखभाल करें। परिवार अपनी पुत्रियों को अपना नहीं मानते हैं और कुछ भारतीय कहावतें भी हैं कि वे किसी और की अमानत (या अंग्रेजी में किसी वस्तु या संपत्ति को बचाकर रखना) होती हैं। दहेज प्रथा की व्यापकता की वजह से पुत्रियों को वित्तीय बोझ के रूप में देखा जाता है। इन प्रचलित मानसिकताओं के कारण यह स्वाभाविक है कि महिलाएं परिवारों में अत्यधिक भेदभाव का सामना करती हैं और पुत्रों को विशेषाधिकार मिलता है।

पुत्र-वरीयता की इस प्रचलित मानसिकता ने कुछ बहुत ही बुरे प्रभावों को जन्म दिया है। इसी तरह, भारत में (कुछ राज्यों जैसे हरियाणा और पंजाब में बहुत अधिक) घटता हुआ लिंगानुपात इसी का उदाहरण है। भारत में भ्रूण के लिंग का पता लगाना एक अपराध है, इसके बावजूद अस्पताल और प्राइवेट चिकित्सक अल्ट्रासाउंड के दौरान भ्रूण का लिंग बता देते हैं। कई मुद्दों में स्त्री लिंग होने की वजह से ही गर्भावस्था का परित्याग कर दिया जाता है। लड़कियाँ शिक्षा और माध्यमिक स्तर की शिक्षा से वंचित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें परिवार के लिए रोज़ी-रोटी कमाने के ज़रिये के रूप में नहीं देखा जाता है।

पुत्र-वरीयता का प्रभाव बाल विवाह पर भी पड़ा है। क्योंकि परिवारों को उस दहेज की फिक्र होती है जो उन्हें अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए देना पड़ता है, इसलिए वे उनकी शादी जल्दी, कई बार तो 18 वर्ष की वैधानिक आयु से पहले ही कर देते हैं । ऐसा करने के पीछे यह धारणा है कि पुत्री का विवाह जितनी जल्दी होता है, दहेज उतना ही कम होगा और माता-पिता अपनी बेटियों की ओर सभी जिम्मेदारियों से छुटकारा पा सकते हैं। सभी सामाजिक लिंग के लोगों के लिए एक जैसे समाज का निर्माण करने के लिए अपने कार्य में, हमें पुत्र-वरीयता की इस मानसिकता को बदलना चाहिए। हमें लोगों की सोच में यह बदलाव लाना चाहिए कि पुरुष और महिलाएं क्या-क्या करने में सक्षम हैं। हमें दूरदर्शी बनना चाहिए और सामाजिक रूप से तय लिंग मानकों से आगे सोचना चाहिए। महिलाएं कमा सकती हैं और अपने माता-पिता का ख्याल रख सकती हैं। उनकी भूमिका मात्र एक गृहणी और पारिवारिक मूल्यों के संरक्षक की नहीं है।

[3] यह एक वैकल्पिक क्रियाकलाप है। यदि आप इस एवी क्लिप को नहीं चला रहे हैं, तो चर्चा कराएं।

सत्र

6

90 मिनट

बाल विवाह : मानव अधिकारों का उल्लंघन

आवश्यक सामग्री

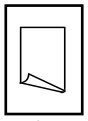

चार्ट पेपर

मार्कर पेन

संलग्नक :
संलग्नक 2
बाल विवाह: मानव अधिकारों का उल्लंघन

उद्देश्य :

इस सत्र के समापन पर सहभागी मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में बाल विवाह का विश्लेषण करने, बाल विवाह के होने से अधिकारों के उल्लंघन पर स्पष्टता हासिल करने में तथा लड़कियों के जीवन पर बाल विवाह के परिणामों का विश्लेषण करने में सक्षम होंगे।

क्रियाविधि :

- चार छोटे समूह बनाएं। संलग्नक : संलग्नक 1 - स्वास्थ्य एवं बाल विवाह, चुनने, निर्णय लेने का अधिकार और बाल विवाह, शिक्षा, रोजगार एवं बाल विवाह, हिंसा और बाल विवाह, से प्रत्येक समूह को एक मामला दें।

"30 मिनट तक अपने समूह में मामले पर चर्चा करें। निम्न प्रश्नों के उत्तर दें:

- किन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और कैसे?
- इन उल्लंघनों का किसी लड़की पर क्या असर होता है?

"अपने समूह की प्रतिक्रियाओं को एक चार्ट पेपर पर लिखें और फिर इसे पूरे समूह में दिखाएं"

चिंतन करें:

- इन मामलों में से प्रत्येक में किन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है?
- मामले एक-दूसरे से किस प्रकार जुड़ें हैं?
- उल्लंघन एक-दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं?
- ये मामले युवा लड़कियों और लड़कों के जीवन की गुणवत्ता के बारे में हमें क्या" बताते हैं?
- परिवारों के जीवन किस प्रकार प्रभावित होते हैं?

चर्चा करें :

हर मामले में बाल विवाह के बारे में बात करते हुए उन निश्चित अधिकारों, जैसे स्वास्थ्य, रोज़गार, घरेलू हिंसा, शिक्षा और चुनाव का अधिकार की गहरी समझ विकसित होनी चाहिए। निम्न तालिका में सूचीबद्ध मुद्दे चर्चाओं से निकलकर आ सकते हैं। यहां सूचीबद्ध सभी बिन्दुओं को शामिल करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, इन अधिकारों में से प्रत्येक के बीच संबंध स्थापित करना भी महत्वपूर्ण है, जैसाकि हमने सत्र 3- मानव अधिकारों को समझना में किया। उदाहरण के लिए, यदि लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं, तो वे उपयुक्त नौकरी हासिल करने के लिए योग्य नहीं हो पाएंगी। यदि लड़कियों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो वे वित्तीय तौर पर अपने पतियों पर निर्भर होंगी। घरेलू हिंसा का सामना करने की दशा में, यहीं वित्तीय निर्भरता हिंसक घर को छोड़ने का निर्णय लेने में उनके लिए अवरोध बन सकता है। इसी प्रकार, यदि लड़कियों को गर्भ-निरोध या परिवार नियोजन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, तो वे बच्चे पैदा करने के संबंध में सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होंगी। इससे समय से पूर्व गर्भधारण हो सकता है, जो उनके जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।

शिक्षा और बाल विवाह	स्वास्थ्य और बाल विवाह	हिंसा और बाल विवाह	चयन का अधिकार और बाल विवाह
अधिकार जिनका उल्लंघन हुआ : • शिक्षा का अधिकार • लाभप्रद रोजगार का अधिकार • प्रजनन और यौन स्वास्थ्य विकल्पों का अधिकार **प्रभाव** • पढ़ाई छूट जाना • बुरी आर्थिक स्थितियां • बच्चों और परिवार का ख्याल रखने में कठिनाइयां • लड़की और उसके बच्चों दोनों में कुपोषण • लड़की द्वारा हिंसा का सामना • मां के द्वारा सहन की गई हिंसा का उसके बच्चों पर प्रभाव • अपूर्ण शिक्षा के कारण कैरियर के कम अवसर • असहायता में वृद्धि	**अधिकार जिनका उल्लंघन हुआ :** • शिक्षा का अधिकार • जीवन साथी चुनने का अधिकार • प्रजनन विकल्पों का अधिकार • पोषण एवं देखभाल का अधिकार • स्वास्थ्य एवं उपचार व देखभाल पाने का अधिकार • वित्तीय सुरक्षा का अधिकार • घर से बाहर काम करने और/या धन कमाने का अधिकार **प्रभाव** • पति द्वारा संक्रमित होने के बावजूद एचआईवी के लिए दोषी ठहराया जाना • खराब स्वास्थ्य • लड़की के हाथ में किसी भी संसाधन का न होना • ससुराल से निकाले जाने पर आश्रय का न होना और माता-पिता के घर में भी शरण न मिलना	**अधिकार जिनका उल्लंघन हुआ :** • शिक्षा का अधिकार • माता-पिता का अपनी बेटियों को बचाव/ सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार • प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य विकल्पों का अधिकार • दहेज की मांगों का विरोध करने का अधिकार **प्रभाव** • शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक यौन शोषण/ उत्पीड़न • यदि यौन संबंध के लिए वैवाहिक जोड़ों के बीच जबरदस्ती होती है और उनके मध्य सहमति नहीं होती, तो इसे वैवाहिक बलात्कार कहते हैं।	**अधिकार जिनका उल्लंघन हुआ :** • शिक्षा का अधिकार • उन मूल्यों का अधिकार जो बच्चों को सिखाता है कि अपनी शिक्षा का उपयोग किस प्रकार करें • निर्णय लेने का अधिकार- क्योंकि लड़कियों को एक अजनबी से शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है **प्रभाव** • पढ़ाई छूट जाना • किसी कौशल न होना • संसाधनों तक सीमित पहुंच • हिंसा की सम्भावना • स्वयं के शरीर और प्रजनन स्वास्थ्य पर कोई नियंत्रण नहीं • लैंगिक निर्धनता चक्र में फंस जाना

चर्चा से विभिन्न मुद्दे और बहस निकलकर आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, हम वैवाहिक बलात्कार और संसाधनों की कमी पर टिप्पणियां सुन सकते हैं। हमें ऐसी कहानियां सुनने को मिल सकती हैं कि किस प्रकार माता-पिता समर्थन निकायों के रूप में कार्य नहीं करते और अपनी लड़कियों को सुरक्षा और सहारे की मांग न करते हुए कष्ट सहने के लिए छोड़ देते हैं। आप यह भी सुन सकते हैं कि मोबाइल फोन और तकनीक की मदद से लड़कियां धोखा खाती हैं और उन्हें किसी के साथ भाग जाने के लिए उकसाया जाता है। इस बात पर बल देना जरूरी है कि हमें उन लड़कियों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए जिनका जीवन इन सभी मामलों के केन्द्र में है। समस्या यह नहीं है कि अब तकनीक सुलभ है बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम युवाओं को किस प्रकार तैयार करते हैं और स्वस्थ निर्णय लेने के प्रति उन्हें कैसे जागरूक करते हैं और उनकी मदद किस प्रकार करते हैं। उन परिवारों के दृष्टिकोण को भी बदलना जरूरी है जो लड़कियों को बोझ के रूप में देखते हैं। यदि लड़कियां सशक्त, शिक्षित और स्वस्थ। हो जाएं, तो वे अपने माता-पिता को सहारा देने के साथ-साथ स्वस्थ संबंध बनाने में भी सक्षम होंगी जोकि समान और सम्मानजनक है। यह तभी संभव होगा जब हम हिंसा के मुद्दों में न्याय करने और घरेलू हिंसा के प्रति फ़ौरन प्रतिक्रिया वाला व्यवहार अपनाने में सक्षम हों।

बाल विवाह की मौन स्वीकृति के पीछे तथ्य यह है कि इस बारे में चर्चा किए जाने की क्या जरूरत है। हमें इस धारणा को चुनौती देनी चाहिए कि बलात्कार और यौन हिंसा से रक्षा करने का एकमात्र उपाय लड़कियों की शादी कर देना है। हालांकि वैवाहिक बलात्कार की स्थिति में कोई स्पष्ट कानून नहीं है, फिर भी सभी विवाहों में यह होता है और बाल विवाह के मुद्दे में इसका प्रचलन अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें एक ऐसे माहौल का निर्माण करने की दिशा में कार्य करना चाहिए जहां लड़कियों को केवल अपने लिंग की वजह से हिंसा का सामना न करना पड़े।

उपरोक्त चर्चाओं और बहस के रोचक होने के बावजूद हमें अपनी चर्चाओं में निम्न बिन्दुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए:

- बाल विवाह किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों को हनन करने का एक कृत्य है।
- बाल विवाह लड़कियों के शिक्षा के अधिकार को प्रतिबंधित करता है, और शिक्षा का अधिकार एक अनिवार्य अधिकार है जिसका उल्लेख यूडीएचआर की धारा 26 में किया गया है।
- उपेक्षित वर्गों की लड़कियों के लिए माध्यमिक स्कूल शिक्षा सुनिश्चित करना साथ में उन्हें मदद जैसे आवासीय विद्यालय की सुविधा, सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय जिससे उनकी शिक्षा सुनिश्चित हो सके और बाल विवाह को रोकने में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं।
- बाल विवाह लड़कियों के स्वास्थ्य के अधिकार को सीमित कर देता है, जोकि एक मूलभूत अधिकार है और यह यूडीएचआर की धारा 25 में उल्लिखित है।
- यूडीएचआर के अनुच्छेकद 23, अर्थात, रोजगार के अधिकार और अनुच्छेअद 22, अर्थात सुरक्षा के अधिकार में भी बाल विवाह रुकावट डाल रहा है।
- यूडीएचआर के अनुच्छेद 16, विवाह करने की 'स्वतंत्र एवं पूर्ण सहमति' का अधिकार भी बाल विवाह के कारण सीमित हो रहा है क्योंकि अवयस्क लड़की/लड़का में शादी से जुड़े निहितार्थों/दायित्वों को समझने के लिए परिपक्विता की कमी होती है।
- क्योंकि मानव अधिकार एक-दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए यह निश्चित है कि बाल विवाह से न केवल ऊपर उल्लिखित अधिकारों का ही उल्लंघन होता है बल्कि मनुष्य के सभी दूसरे अधिकारों का भी हनन होता है।
- 10 दिसम्बर 1948 की संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने यूडीएचआर के पक्ष में मत दिया है। इसलिए, भारतीय होने के नाते हम सभी को यूडीएचआर में घोषित किए गए सभी मानव अधिकारों को पाने का हक है।

सत्र

7

60 मिनट

बाल विवाह के लिए दिए जाने वाले कारण

आवश्यक सामग्री

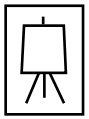
व्हाइट बोर्ड

मार्कर पेन

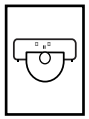
डीवीडी प्लेयर

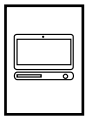
टीवी/ कंप्यूटर

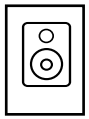
स्पीकर

उद्देश्य :

इस सत्र के समापन पर सहभागी युवाओं पर बाल विवाह के प्रभाव का विश्लेषण करने तथा बाल विवाह और अधिकारों के उल्लंघन के मध्य संबंध स्थापित करने में सक्षम होंगे।

1 क्रियाविधि :

* विद्युत आपूर्ति न होने पर, विकल्प B चुनें।

विकल्प A	विकल्प B
'सत्र 7- बाल विवाह के लिए दिए जाने वाले कारण' शीर्षक वाली एवी क्लिप चलाएं	"टीवी धारावाहिकों के उन दृश्यों के बारे में सोचे जिनमें यह दिखाते हैं कि बाल विवाह होने चाहिए।"

सहभागियोंसे ये प्रश्न" पूछें:

"फिल्म क्लिप या टीवी के धारावाहिकों में ये दृश्य देखते समय आपको कैसा लगा?"

"क्या आपने महसूस किया कि किरदार विवाह के लिए तैयार किया गया? क्यों या क्यों नहीं?"

"इस क्लिप से युवा लड़कियों को क्या संदेश मिल रहे हैं?

चिंतन करें:

- बाल विवाह क्यों होता है?
- अपनी बेटियों की जल्दी शादी करने के पीछे माता-पिता और समाज द्वारा क्या कारण बताए जाते हैं?

- यह निर्णय कौन लेता है कि कब शादी होनी चाहिए?
- विवाह के मानक क्या हैं?
- युवाओं (लड़की और लड़का) पर बाल विवाह का क्या असर होता है?
- बाल विवाह होने पर कौन से अधिकार प्रभावित होते हैं?

चर्चा करें :

यह अभ्यास काफी हद तक फिल्म और टीवी क्लिप्स पर आधारित है। इसलिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सहभागी इन टीवी धारावाहिकों की कहानी, किरदारों और स्थितियों के बारे में बहुत अधिक चर्चा कर सकते हैं। अनुदेशकों को इस प्रकार से तैयार रहना चाहिए कि वह ऐसी बहस में पड़कर विषय से न भटक जाएं बल्कि चर्चाओं का फोकस बाल विवाह तथा इस बात पर रखें कि मानव अधिकारों के उल्लंघन किस प्रकार इन स्थितियों के साथ जुड़े हुए हैं।

यह धारावाहिक इस बात का एक उदाहरण है कि युवा लड़कियों को दैनिक जीवन में क्या-क्या सुनना पड़ता है। यह विश्वास कि लड़कियों को शिक्षा की कोई जरूरत नहीं होती, लोगों की मानसिकता में घर कर चुका है। हालांकि धारावाहिक ग्रामीण परिवेश पर आधारित है, फिर भी शहरी इलाकों में लड़कियों के लिए वास्तविकता अलग नहीं है, विशेष रूप से उनके लिए जो निर्धन या हाशिए पर हैं। अधिकांश परिवारों का मानना है कि बेटियों के जल्दी विवाह से यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें बेहतर जीवन और पुरुषों की हिंसा से मुक्ति मिले। यह धारणा कि महिलाएं पारिवारिक सम्मान की वाहक होती हैं, बाल विवाह का एक अन्य कारक है- बाल विवाह को परिवार के सम्मान की रक्षा करने के एक मजबूत तरीके के रूप में देखा जाता है। सम्मान की यह धारणा बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बहुत अधिक प्राथमिकता दी जाती है (जैसेकि दूल्हे का किरदार प्रस्तुत करता है- जगहसाई न कराई अपने गांव में; अंग्रजी में इसका अर्थ होता है एक लड़की मेरे गांव में मेरे परिवार के लिए हंसी की वजह होती है)। माता-पिता की भी यहीं राय होती है कि अपनी बेटियों की शादी जल्दी कर दी जाए ताकि उन्हें पुरुषों से प्रेम न होने पाए और जिसके चलते वे "परिवार के नाम" को न डुबोने पाएं। इसी मान्यता के कारण परिवार अपनी बेटियों की पढ़ाई ठीक उसी समय छुड़वा देते हैं, जब वे वयस्क हो रही होती हैं। इन सभी धारणाओं ने हमारे समाज में महिलाओं के लिए तय भूमिकाओं में गहराई से घर कर लिया है- जैसेकि एक महिला जो परिवार को एक साथ जोड़कर रखती है वह "हमारे राम के लिए सीता" के समान होती है।

सत्र

8

60 मिनट

अनुमान एवं वास्तविकता

आवश्यक सामग्री

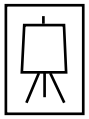

व्हाइट बोर्ड

मार्कर पेन

'बाल विवाह का सामना करने के लिए कानून एवं नीति समर्थन' पर निर्मित इन्फॉकर्मेशन बुकलेट की प्रतियां

उद्देश्य :

इस सत्र के समापन पर सहभागी उस लिंग भेदभाव संबंधी सलाह को पहचानने में सक्षम होंगे जो परिवार और समुदाय द्वारा दुल्हन और दूल्हे को दी जाती है और यह भी जान पाएंगे कि किस प्रकार यह असमान संबंधों और हिंसा की नींव तैयार करती है।

1 क्रियाविधि :

समूह को छोटे-छोटे समूहों में बांटें।

"एक रोल प्ले कराएं। चुनें कि आप कौन सा किरदार निभाना चाहते हैं- माता, बहिन, पिता, मित्र पड़ोसी आदि।

"अब आपको दूल्हे और दुल्हन से शादी वाली रात से पहले इस संबंध के बारे में बात करनी है या उन्हें विवाह से जुड़ी सलाह देनी है। यह दो अलग-अलग दृश्यों में हो सकता है – एक लड़कों के लिए और दूसरा लड़कियों के लिए।"

चिंतन करें:

- दुल्हन और दूल्हे को बड़ों द्वारा दी जाने वाली सलाह में, क्या ऐसे कोई बिन्दु हैं जो लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग हों?
- विवाह में महिलाओं और पूरुषों की भूमिकाओं से अपेक्षाओं के बारे में वे हमें क्या बताते हैं?
- क्या किसी भी पक्ष की ओर से यौन या यौन-व्यवहार और यौन आकांक्षाओं से जुड़ी कोई भी सलाह दी गई?
- क्या हमारे लोकगीतों या विवाह के रिवाजों में किसी प्रकार के यौन संदेश और इशारे हैं; क्या आपके विचार से कोई हो सकता है? आपको यह संकेत किस बात से मिला?

चर्चा करें :

यौन संबंध के बारे में लड़कियों और लड़कों को दिए गए संदेश अलग-अलग होते हैं। लड़कियों के लिए, अधिकांश संदेशों में उनसे यौन संबंध के मुद्दे में विनम्र बने रहने की सलाह दी जाती है, कभी भी स्वयं से पहल न करें, कभी भी यौन संबंध की अपनी "इच्छा" जाहिर न करें, और इस संबंध में कभी भी अपनी आकांक्षाएं व्यक्त न करें। सकारात्मक अभिव्यक्ति प्रकट न करने पर यहीं फोकस उन तरीकों में से एक है जिनके द्वारा समाज महिलाओं की इच्छाओं को नियंत्रित करता है। दूसरी ओर, लड़कों से शक्ति दिखाने की अपेक्षा की जाती है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे यौन संबंध की पहल करें, यौन संबंध के बारे में उन्हें पूरी जानकारी हो (भले ही इस संबंध में जानकारी हासिल करने का कोई भी साधन न हो) और यौन संबंध के विषयों पर बात करते हुए कभी भी शर्म महसूस न करें।

यौन संबंध के बारे में परिवार के सदस्यों (जैसाकि इन रोल प्ले के मुद्दे में) द्वारा दी जाने वाली जानकारी सदैव बच्चे पैदा करने के एक साधन के रूप में यौन संबंध पर फोकस होती है। इस बारे में बहुत अधिक चर्चा नहीं होती कि किस प्रकार इसे आंनदपूर्ण और सुखद बनाया जा सकता है। हमें यह भी नहीं सिखाया जाता है कि पहली बार यह कैसी कष्टदायी या असुविधाजनक हो सकता है। अधिकांश लोग यौन संबंध के लिए तैयार या इस बारे में जागरूक नहीं होते हैं, जब उनकी शादी होती है। यौन संबंध के विषय में बात करना वर्जित है इसलिए इसके बारे में प्राय: अपने बड़ों से छिपकर, गुप्त तरीकों से जानकारी हासिल की जाती है। उदाहरण के लिए अपने शरीर की तुलना फलों या पक्षियों से करने के लिए इशारों और समानताओं का उपयेाग किया जाता है। इस चुप्पी को तोड़ना और युवाओं को, इससे पहले कि वे यौन संबंध बनाना शुरू करें जरूरी सलाह एवं जानकारी देना आवश्यक है ।

यौन संबंधों में हिंसा और न कहने (मना करने) के महत्व पर भी बात करना समान रूप से जरूरी है। लड़कियों के मुद्दे में यह विशेष रूप से सच है, जो यह कभी नहीं बताती हैं कि यौन संबंध के दौरान उन्हें किसी तरह की असुविधा होती है, उनके पास अपने पतियों/साथियों से रुक जाने के लिए कहने का अधिकार होता है। साथ ही यौन संबंध के सकारात्मक पहलुओं पर फोकस करना भी आवश्यक है और महिलाओं के लिए यह सीखना जरूरी है कि इच्छा जाहिर करने और मना करने में कोई बुराई नहीं है।

शादी हो जाने पर पुरुष और महिलाओं को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इस सबंध में भी दोनों को अलग-अलग संदेश मिलते हैं। महिलाओं से अपने सास-ससुर का सम्मान करने और उनकी आज्ञा मानने तथा अपने पति की हर बात सुनने की अपेक्षा की जाती है। किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या हिंसा के मुद्दे में उनसे "समझौते" की अपेक्षा होती है और उन्हें अपने पति के परिवार के साथ रहना होता है, जहां ही उसे जीना-मरना है। पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी पत्नियों पर वर्चस्व कायम रखें और साथ ही अपनी पत्नियों को यह बात अच्छी तरह से समझा दें कि घर के मालिक वहीं हैं। अपनी पत्नी से दबकर रहने वाले या उनके वर्चस्व में जीने वाले पुरुषों को दूसरे पुरुष हेय की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे सख्ती सामाजिक लिंग मानक घरेलू हिंसा को बढ़ावा देते हैं और महिलाओं के लिए आपत्ति या विरोध के विकल्प को सीमित कर देते हैं। अधिकांश मुद्दों में, वे अपने जन्मजात घरों में वापस लौटने को भी एक मौजूद विकल्प के रूप में नहीं देखतीं।

शायद परम्परागत गीत और पौराणिक बातें किसी भी तरह से बाल विवाह को प्रतिबंधित या इनकी रोकथाम नहीं करते। किन्तु वे निश्चित व्यवहार और संबंधों की "अनुमति" या "मंजूरी" देने के अतिरिक्त यौन संबंध और पहली रात पर खुली और विस्तृत चर्चा के एक तरीके को प्रोत्साहित करते हैं, जिसे अनुचित माना जा सकता है- जैसेकि नई दुल्हन और उसके देवर के बीच संबंध या युवा पति को उसकी सालियों द्वारा सिखाया जाना। इस सभी के बीच यौन संबंध पर चर्चा करने को लेकर कोई उंगली नहीं उठती- विवाह इन सीमाओं को तोड़ देते हैं, भले ही वे कुछ समय के लिए हों।

मॉड्यूल 12 - बाल विवाह टूलकिट से 'बाल विवाह का सामना करने के लिए कानून और नीति समर्थन' पर तैयार की गई इन्फॉर्मेशन बुकलेट की प्रतियां वितरित करें।

सत्र

9

45 मिनट

लिंग-पक्षपात का प्रभाव भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ

आवश्यक सामग्री

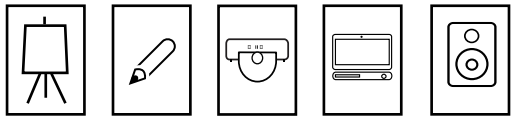

व्हाइट बोर्ड | मार्कर पेन | डीवीडी प्लेयर | टीवी/ कंप्यूटर | स्पीकर

उद्देश्य :

इस सत्र के समापन पर सहभागी विवाह के पश्चात युवाओं द्वारा निभाए जाने वाले दायित्वों और जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध करने तथा युवा पुरुषों और महिलाओं के जीवन पर इन दायित्वों और जिम्मेदारियों के निभाने के निहितार्थों पर चर्चा करने में सक्षम होंगे।

1 क्रियाविधि :

'सत्र 9- इरफान खान बाल विवाह के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज करते हैं' और 'सत्र 9-विवाह – अंत्येष्टि वीडियो' शीर्षक वाली दोनों एवी क्लिप्स एक-एक करके चलाएं और निम्न प्रश्नों पर चर्चा करें।

- इरफान खान वीडियो में, मुख्य संदेश क्या था?
- उन्होंने क्यों कहा कि यदि आप अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं, तो आप उसकी शादी जल्दी नहीं करेंगे?
- कम उम्र की लड़कियों पर बाल विवाह का क्या असर होता है?
- अन्येष्टि विज्ञापन में उत्सव मातम में क्यों बदल गया?
- कम उम्र की लड़की को विवाह के बाद क्या जोखिम है?
- यदि किसी कम उम्र की लड़की का विवाह पहले ही हो गया है, तो उसके प्रति जोखिम को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

अब सहभागियों को चार छोटे-छोटे समूहों में बांटें। प्रत्येक समूह को एक श्रेणी आवंटित करें – सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक और व्यक्तिगत (निजी)।

"अपने समूह को आवंटित श्रेणी के अनुसार, विवाह से पहले और बाद में लड़कों और लड़कियों से अपेक्षित दायित्वों और जिम्मेदारियों की एक सूची तैयार करें।"

"ऐसी कौन सी भूमिकाएं हैं जिनसे युवा लड़के और लड़कियां विवाह के ठीक बाद जुड़ जाएंगे?"

"बड़े समूह के लिए अपनी सूची का एक प्रस्तुति तैयार करें।"

चिंतन करें:

- क्या सूची में कोई समानताएं हैं?
- इन भूमिकाओं को निभाने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है?
- इनमें से कुछ भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को कुशलता से पूरा करने के लिए क्या जरूरी है?
- इन भूमिकाओं को निभाने के लिए तैयार होने के लिए लड़के और लड़कियों की क्या जरूरत है?
- कम उम्र में शादी हो जाने पर युवाओं पर इन भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के निहितार्थ क्या होते हैं?

चर्चा करें :

सामाजिक पटल पर, विवाह के साथ अहम जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं।शादी कर लेने के बाद, पुरुष और महिलाएं अनेक सामाजिक संबंधों से घिर जाते हैं और एक अच्छी बहू और पत्नी होने के नाते महिलाओं पर इन भूमिकाओं को निभाने का काफी दबाव रहता है। भारतीय सन्दर्भ में, दूल्हे के बड़े परिवार के कई सदस्यों को नई दूल्हन से अपेक्षाएं होती हैं और प्राय: वे तत्काल निर्णय कर लेते हैं और उनके अपने मत भी होते हैं। लड़कियों को इन संबंधों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है और इसलिए वे अपने पतियों के परिवारों के इन मानकों के प्रति जागरूक नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त, समुदाय के सदस्यों और पड़ोसियों की ओर से भी बहुत दबाव रहता है क्योंकि वे महिला के व्यवहार की निगरानी करते हैं। भारतीय समाजों में सामाजिक लिंग मानकों के अनुसार दुल्हनों से आज्ञाकारी, शर्मीली होने की अपेक्षा की जाती है और उनसे यह उम्मीद होती है कि वे अपनी आवाज उठाने या हक दिखाने का प्रयास नहीं करेंगी। दहेज की आकांक्षाएं भी लड़की द्वारा उसके वैवाहिक घर में हिंसा फैलने को बढ़ावा दे सकती हैं।

आर्थिक रूप से, कमाने और अपने परिवारों को सहारा देने का दबाव 'जोड़े' पर बहुत ही जल्दी आ जाता है। कम कौशल या कौशल के लिए कोई तैयारी न होना या आजीविका हेतु प्रबंधों के अभाव में, परिवारों को अतिरिक्त बोझ के साथ मौजूदा संसाधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा, बाल विवाह के मुद्दों में, लड़कियों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है जिससे अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। निर्धन समुदायों की कई लड़कियों के लिए, विवाह एक ऐसे शहर में जाने का एक साधन भी हो सकता है जहां उनके पति काम करते हैं, और इससे उनके जीवन में इस बदलाव में प्रबंध करने का तनाव बढ़ सकता है – शहरों में जीने के तरीकों को समझना।

विवाह पुरुषों और महिलाओं के यौन जीवन पर भी बहुत दबाव डालते हैं। अधिकांश लोगों के लिए यह विशेष रूप से सच है जिन्हें यौन संबंध के बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती है। बिना किसी ज्ञान के यौन संबंधों को अच्छी तरह से निभाने का दबाव बहुत ज्यादा तनाव पैदा कर सकता है। विषय वर्जित होने की वजह से अधिकांश लोग यौन संबंध में डर और कष्ट के बारे में सोचते हैं और इसलिए उन्हें नहीं पता होता कि यौन संबंधों से क्या उम्मीद करें। महिलाओं को विशेषकर कम ही जानकारी होती है कि यौन हिंसा का सामना होने पर वे क्या करें। अरेंज विवाह के मुद्दों में, पुरुष और महिलाओं के पास एक-दूसरे को जानने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है और उनसे पहली ही रात में यौन संबंध बना लेने की अपेक्षा की जाती है। अधिकांश महिलाओं के लिए यौन संबंध बनाने का विचार बहुत अधिक चिंता और डर पैदा कर देता है।

ऊपर दिए गए सभी दबाव निजी स्तर पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त, क्योंकि किसी व्यक्ति की चिंताओं और डर के बारे में बात करने का कोई स्थान नहीं होता तथा विवाह को एक उत्सक के रूप में देखा जाता है, इसलिए युवा स्वयं को फंसा हुआ महसूस करते हैं या उन्हें लगता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हो सकता है कि वे– अपने पति, सास-ससुर, बड़े परिवार, समुदाय आदि के साथ इन नए संबंधों को निभाने में बहुत अच्छे न हों - जिससे वे बहुत अधिक तनाव और चिंताग्रस्त रह सकते हैं। हो सकता है कि कुछ युवा परिवारों की देखभाल करने में समर्थ न हों और जब उन पर आर्थिक दबाव भी हो तो इससे और भी मुश्किल पैदा हो सकती है ।

स्वास्थ्य के कुछ पहलुओं को भी इसमें शामिल करना जरूरी है। एक, 18 वर्ष की आयु से कम लड़कियों के शरीर बच्चे पैदा करने के लिए परिपक्व नहीं होते हैं। यौन शिक्षा के बारे में उचित जानकारी के अभाव और अपने शरीर के विकास व इससे संबंधित बदलावों के बारे में जागरुकता की कमी के चलते हो सकता है कि युवा अनचाही गर्भावस्था और/या संक्रमणों से सुरक्षा के बारे में न जानते हों। साथ ही, कम जानकारी की वजह से गर्भनिरोधक विकल्पों या सुरक्षित यौन संबंध के बारे में बहुत कम पता होता है। विवाहित जोड़ों में इस बात पर चर्चा के लिए कोई जगह नहीं होती एचआईवी/एड्स पर या कब बच्चे हों, और कि एक-दूसरे को किस प्रकार आनंद प्रदान करें कोई समझ नहीं होती ।

ये सभी पहलू यह स्पष्ट करते हैं कि शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है और संबंध आसान नहीं होते हैं। कम उम्र में विवाह से प्रभावों में भारी बढ़ोत्तरी होती है और युवाओं पर बहुत अधिक दबाव आ जाता है। यह स्थिति तनावपूर्ण है विशेषकर लड़कियों के लिए जहां एकाएक बहुत ही कम उम्र में उनसे कई भूमिकाओं के निर्वाहन की अपेक्षा होती है।

अंत में, यह भी रेखांकित करना आवश्यक है कि शादी एक सकारात्मक और संतोषप्रद संबंध साबित हो सकती है अगर यह सही समय पर हो और जब दोनों व्यक्ति शादी करने के लिए तैयार हों। एक प्रेम करने वाला साथी होना, जो व्यक्ति की खुशी और चुनौतियों का साझा कर सके; अत्यंत संतोषप्रद और खुशी देने वाला अनुभव हो सकता है। यह और भी बेहतर हो जाता है, जब दोनों व्यक्ति एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और एक-दूसरे के फैसलों का समर्थन करते हैं। ऐसे सकारात्मक संबंधों में हिंसा और उत्पीड़न की कोई जगह नहीं होती।

सत्र

10

45 मिनट

हमारी भूमिका

आवश्यक सामग्री

चार्ट पेपर | मार्कर पेन | संलग्नक-संलग्नक 3 : रोल-प्ले की प्रतियां

उद्देश्य :

इस सत्र के समापन पर सहभागी बाल विवाह का समाधान करने में अध्यापकों की भूमिका को समझने तथा उन सरल रणनीतियों पर चर्चा करने में सक्षम होंगे जिनका इस मुद्दे को हल करने में अध्यायपक/शिक्षाविद् उपयोग कर सकते हैं।

1 क्रियाविधि :

- सहभागियों को 3 समूहों में बांटें। प्रत्येक को एक पात्र आवंटित करें।

"20 मिनट में तैयार करें और इसके बाद बड़े समूह के सामने पात्र का अभिनय करें। अभिनय से पहले, कृपया समूह के सामने पात्र को पढ़ें"।

- पात्र के साथ-साथ इस बात पर भी चर्चा करें कि ऐसा क्या है जिसे अलग तरीके से किया जा सकता है।

चिंतन प्रेरित करें:

- बाल विवाह का समाधान करने में अध्यापक क्या भूमिका निभाते हैं?
- अध्यापकों की स्थिति के बारे में ऐसा क्या विशेष है जो उनके लिए बाल विवाह का समाधान करने में ज्यादा मुफीद साबित होता है ?
- अध्यापक बाल विवाह से संबंधित मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में अपने विद्यालयों और दूसरे संस्थानों को किस प्रकार शिक्षित कर सकते हैं?
- हमारे विद्यालयों और समुदायों में मानव अधिकारों की संस्कृति के निर्माण में अध्यापक क्या भूमिका निभाते हैं?

चर्चा करें :

समुदाय में अध्याापकों का एक विशेष स्थान प्राप्त होता है और उन्हें सभी समाजों में बड़ा ही सम्मान प्राप्त होता है। उन्हें ज्ञान और शिक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और इस सम्मान का उपयोग करके वे बाल विवाह सहित कई मानव अधिकार के मुद्दों का समाधान कर सकते हैं।

अध्यापक उन स्थानों पर भी प्रथम पंक्ति में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बाल विवाह के बारे में जानकारी होती है। कम उम्र में विवाह करने वाली लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं और अध्यापकों को इसकी खबर सबसे पहले हो जाती है। संबंधित परिवारों से मिलकर और उन्हें बाल विवाह की हानियों के बारे में बताकर इस पूर्व जानकारी को एक सक्रिय कार्यवाही में बदला जा सकता है। समाजों में उनके विशेष स्थान के कारण लड़कियों के माता-पिता उनकी बात आसानी से सुन लेते हैं।

एक दूसरी रणनीति विद्यार्थियों को स्वयं शिक्षित करना और कई मुद्दों पर उनकी जानकारी को बढ़ाना है।अध्यापक माध्यमिक शिक्षा में नामांकन को बढ़ावा देने, यौन संबंध पर ज्ञान और जानकारी प्रदान कर सकते हैं; इन मुद्दों को समझना शुरू करने में वे लड़कियों और लड़कों को सहारा दे सकते हैं; स्वस्थ संबंधों के बारे में जागरुकता का प्रसार कर सकते हैं; विद्यार्थियों को यह बता सकते हैं कि किसी भी प्रकार की हिंसा को सहन नहीं किया जाना चाहिए और प्रत्येक को हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार है; और, अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में वे लड़कियों और लड़कों में आत्महविश्वास पैदा कर सकते हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप लड़के और लड़कियों के पास बाल विवाह का विरोध करने के लिए जानकारी और कौशल उपलब्ध होगा।

अंत में, अध्यापक ऐसे शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण में अहम भूमिका अदा करते हैं जो मानव अधिकारों के सिद्धान्त सिखाएं। अपने सहकर्मियों को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करके, और ऐसी शिक्षण-विधियां अपनाकर जो सभी के मानव अधिकारों का आदर करें, अध्यापक मानव अधिकारों को सुदृढ़ बनाने वाले संस्थानों का निर्माण करने में मदद कर सकते हैं। शिक्षा में लिंग असमानता का सक्रिय रूप से समाधान करना तथा किसी भी प्रकार का रोजगार हासिल करने के लिए लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा करना इसी का एक उदाहरण है।

सत्र

11

60 मिनट

बाल विवाह का समाधान करने के लिए रणनीतिक नियोजन[4]

आवश्यक सामग्री

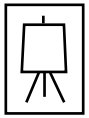
व्हाइट बोर्ड

मार्कर पेन

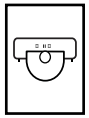
डीवीडी प्लेयर

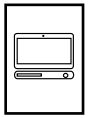
टीवी/ कंप्यूटर

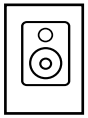
स्पीकर

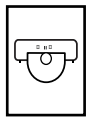

सत्र 11 – बाल विवाह – हितधारक' शीर्षक वाली एवी क्लिप की प्रति, 'समस्त हितधारकों के साथ मिलकर ईएम प्रोग्राम के क्रियान्वयन हेतु स्त्रोत पुस्तिका' को ध्यान से पढ़ें जोकि टूल-किट का एक भाग है।

उद्देश्य :

इस सत्र के समापन पर सहभागी उन हितधारकों की पहचान करने में सक्षम होंगे जो बाल विवाह का समाधान कर सकते हैं और साथ ही समुदाय में बाल विवाह के समाधान में सामने आने वाली चुनौतियों को भी जान पाएंगे।

1 क्रियाविधि :

- 'सत्र 11 – बाल विवाह – हितधारक'[5] शीर्षक वाली एवी क्लिप

"हमारे विचार से वे कौन से मुख्य लोग हैं जिन्हें बाल विवाह का समाधान[6] करने में अवश्य शामिल करना चाहिए? प्रमुख हितधारकों और गेटकीपर्स की एक सूची तैयार करें।"

- सहभागियों को छोटे-छोटे समूहों में बांटें और उन्हें नीचे दी गई तालिका दें। प्रत्येक समूह में एक या दो हितधारक बनाएं।

4 अध्यापक, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और एनजीओ इसके और निम्नध अभ्यास में से चुन सकते हैं, जो समय की उपलब्धता पर निर्भर है। यदि समय कम है, तो इस सत्र के समाप्त होने पर इसके बाद वाला अभ्यास, सत्र 12 अनुशंसित है।

5 एवी क्लिप्स का उपयोग न हो पाने पर, अनुदेशक छोटे-छोटे समूहों में अभ्यास करा सकता है।

हितधारक[6]	हम हितधारक से किस प्रकार बात करेंगे?	बाल विवाह की समस्या का समाधान करने को लेकर इस हितधारक से हमें कौन सी सामान्य बातें पता चलीं?
पंचायत सदस्य		
धार्मिक नेता – पंडित/मौलवी		
विद्यालय के अध्यापक		

"कृपया चर्चा करें और इस तालिका को भरें। जितना संभव हो, विषय से संबंधित बातचीत करें, और ऐसे सरल विचार प्रस्तुत करें जिन पर अमल करना संभव हो।"

चिंतन करें:

- इन हितधारकों में से प्रत्येक हमारे समुदाय में क्या भूमिका निभाता है?
- किसी भी सामाजिक मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या आपने इन हितधारकों में से किसी से भी संपर्क करने का प्रयास किया है? आपका अनुभव कैसा रहा?
- बाल विवाह के उन्मूलन का प्रयास करने में हमें इन सभी हितधारकों के समर्थन की जरूरत क्यों है?

चर्चा करें :

बाल विवाह एक जटिल समस्या है जिसके लिए एक संयुक्त और बहुस्तरीय समाधान की जरूरत है। इसलिए, यह जरूरी है कि सभी हितधारकों से मिलें और उन्हें बताएं कि इस समस्या को समाप्त होना चाहिए।

सभी हितधारकों के लिए, किसी को ये सामान्य तर्क सुनाई पद सकता है कि किस तरह महिलाओं को अंततः विवाह कर लेना चाहिए या कि बाल विवाह यौन हिंसा से उन्हें बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। हमें जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमारे पास साक्ष्य होने चाहिए कि किस प्रकार विवाह में भी बहुत अधिक यौन हिंसा होती है। साथ ही, इस बात पर भी फोकस करना चाहिए कि हमारे समाजों में लड़कियां की अहमियत क्या है और वे ही माताएं और बेटियां बनती हैं। किसी की स्थिति के आधार पर, क्षेत्र की ही ऐसी महिलाओं के उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जिन्होंने सफलता प्राप्त की हो क्योंकि यह इस बात को प्रदर्शित करने में मददगार हो सकता है कि इन सफल महिलाओं ने हमारे समुदायों को गौरवान्वित किया है।

पंचायत नेता कानून के बारे में और जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम (2006) से सबंधित आसानी से समझ में आने वाले पर्चे उनके लिए उपयोगी साबित होंगे। साथ ही, इन नेताओं को अपने समुदायों में अपने महत्व और विशेष स्थिति के बारे में समझाना भी जरूरी है। अध्यापकों की तरह ही, पंचायत नेताओं का भी समुदायों में बड़ा सम्मान होता है और वे बाल विवाह की रोकथाम करने के मुद्दे में परिवारों को आसानी से प्रेरित कर सकते हैं।

धार्मिक नेताओं का भी अपने समुदायों में खासा सम्मान होता है। कोई भी धार्मिक साहित्य से संबंधित बहस और बाल विवाह के प्रत्यक्ष कारणों के स्रोतों के बारे में सुन सकता है। इसे चुनौती दिए जाने की जरूरत है और हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि विवाह के बारे में और हमारे समाजों में महिलाओं की स्थिति के बारे में धार्मिक साहित्य हमसे क्या कहता है।

6 कृपया बडे समूह के साथ सूची तैयार करते समय ध्युान में आने वाले अन्यो हितधारकों को भी शामिल करें

सत्र

12

60 मिनट

मैं क्या कर सकता हूं?

आवश्यक सामग्री

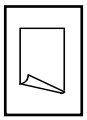

फ्लिप चार्ट पेपर

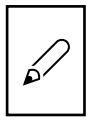

मार्कर पेन

संलग्नक - संलग्नक 4: सहभागियों द्वारा शपथ ग्रहण की प्रतियां

उद्देश्य :

इस सत्र के समापन पर सहभागी इन मुद्दों का समाधान करने के लिए अपने द्वारा किये जाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध करने तथा विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करने के लिए रणनीतियां तैयार करने में सक्षम होंगे। वे माध्यमिक स्कूल को छोड़ने, बाल विवाह, लिंग आधारित यौन हिंसा, दहेज तथा समुदाय में महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध उत्पीड़न/हिंसा का उन्मूलन करने की शपथ भी लेंगे।

1 क्रियाविधि :

सहभागियों को छोटे-छोटे समूहों में बांटें। सभी समूहों में एक हितधारक बनाएं। आप सत्र 11 की हितधारकों की सूची का उपयोग कर सकते हैं।

"अपनी पसन्द के किसी भी टूल का प्रयोग करते हुए बाल विवाह की समस्या का समाधान करने के लिए हितधारक को प्रेरित करने की एक रणनीति तैयार करें। कार्यवाही सरल और अमल में लाने योग्य होनी चाहिए। तैयारी करने के लिए आपके पास 30 मिनट का समय है।"

चिंतन करें :

- ऐसी कौन सी रणनीतियां हैं जिनके सफल होने की संभावना अधिक है और क्यों?
- ऐसा क्या है जो सभी हितधारकों की रणनीतियों में शामिल है?
- हमारी रणनीतियां प्रभावी हों, यह सुनिश्चित करने लिए हमें किस प्रकार के समर्थन की आवश्यकता है?

चर्चा करें :

क्योंकि यह इस मॉड्यूल का अंतिम सत्र है, इसलिए फोकस ऐसी कार्ययोजनाओं के निर्माण पर होना चाहिए जो लागू होने योग्य और प्रभावी हों। नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक हितधारक के साथ मिलकर कार्य करने में कुछ प्रभावी चरणों का उल्लेख है – इनमें से अधिकांश को समूह प्रस्तुति में स्थान दिया जा सकता है और इन्हें इस सत्र में अवश्य् शामिल किया जाना चाहिए।

हितधारक	कार्यकारी बिन्दु
पंचायत	• 'बाल विवाह का सामना करने के लिए कानून ओर रणनीति समर्थन' पर आधारित इन्फॉर्मेशन बुकलेट का उपयोग करते हुए पंचायत को अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदान करें। • ग्राम सभा में पंचायत सदस्यों के माध्यम से जानकारी पहुंचाएं।
पुलिस	• पुलिस से मिलें। • बाल विवाह की विशेषताओं और समस्याओं, इसके परिणामों, प्रभाव आदि के बारे में पुलिस के साथ चर्चा करें। • बाल विवाह रोकने की एक घटना दूसरे बच्चों और परिवारों को प्रेरित करती है – इसलिए, पुलिस को बताएं कि यह किस प्रकार युवाओं और परिवारों को बाल विवाह को रोकने के लिए प्रभावित करेगी। • कानून/अधिनियम (सार्वजनिक बैठकों, विज्ञापनों आदि के जरिए) में प्रावधानों से संबंधित दण्ड, आर्थिक दण्ड आदि के बारे में जनता को जानकारी देने के लिए पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिए।
परिवार	• एक समिति बनाएं जिसमें एक सीएसओ सदस्य, आंगनवाड़ी कर्मचारी (सहायिका), निर्वाचित पंचायत और जाति-आधारित पंचायत, पुलिस के प्रतिनिधि, दूसरे हितधारक समूहों के विद्यालय अध्यापक शामिल हों। ये समितियां जागरुकता निर्माण के संदर्भ में परिवारों के साथ काम करेंगी तथा बाल विवाह होने पर कानूनी कार्यवाही करेंगी। • बाल विवाह और वयस्कता की आयु पाने के बाद होने वाले विवाह के परिणामों वाला एक मामला परिवारों के सामने प्रदर्शित करें। • समुदाय/ग्राम स्तर पर नुक्कड़ नाटक • मामलों की वीडियो प्रस्तुति • प्रभात फेरी, दीवारों पर संदेशों की पुताई • एसएचजी को समस्याओं के बारे में प्रशिक्षण- बाल विवाह के कानून एवं अन्य निहितार्थ के विषय में जानकारी। • बालिकाओं के लिए योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करना, जैसेकि 'बाल विवाह का सामना करने के लिए कानून ओर रणनीति समर्थन' पर आधारित इन्फॉर्मेशन बुकलेट की मदद से मुख्य मंत्री कन्यादान योजना • सभी बच्चें अपने माध्यमिक स्कूल शिक्षा पूरी करें यह सुनिश्चित करना
धार्मिक नेता	• सभी धार्मिक नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाएं। • यदि उन्हें किसी विवह के लिए बुलाया जाता है- तो धार्मिक नेताओं को दूल्हे और दुल्हन की आयु के बारे में पता कर लेना चाहिए। यदि उनमें से कोई उन्हें आवश्यक लगे, तो वे समुदाय के सदस्यों /गांव के नेताओं/माता-पिता और अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे। उन्हें इन लोगों को बाल विवाह की समस्याओं/कमियों के बारे में बताना चाहिए। • धार्मिक नेताओं को सीधे तौर पर सम्मिलित करें और इन चर्चाओं से धार्मिक नेताओं को जोड़ने के लिए एसएचजी को भी शामिल करें। • स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर कार्य करने वाली समितियों को भी धार्मिक नेताओं को एक मंच पर लाने में सहायता करनी चाहिए।

हितधारक	कार्यकारी बिन्दु
समुदाय	• एक समिति बनाएं; बाल विवाह से संबंधित कानून तथा दूल्हे और दूल्हन के साथ बाल विवाह से पैदा होने वाले बच्चे पर इसके परिणामों व प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करें। • समुदाय को बचपन का वास्तविक अर्थ समझाएं। समुदाय को प्रेरित करें कि वह बच्चों की शिक्षा और खेलने का समय सुनिश्चित करे तथा लड़कियों पर घरेलू कार्यों और भाई-बहनों को संभालने का बोझ न डाले। • दूसरे पड़ोसी गांवों की इस प्रकार की घटनाओं को साझा करें – सभी हितधारकों के साथ एक बैठक में इन कहानियों को साझा करें। इन मामलों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही अध्ययन शामिल होने चाहिए। • थिएटर, बैठकों, रैलियों आदि के माध्यम से जागरुकता फैलाएं।
विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान	• विद्यार्थियों की उपस्थिति और पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की जांच करें • बच्चे बाल विवाह का विरोध कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए उनके क्षमता संवर्धन को बढ़ावा दें। • आयु के अनुसार उन्हें उचित जानकारी प्रदान करें तथा पढ़ाई छोड़ देने और बाल विवाह को रोकने से संबंधित गतिविधियों की योजना बनाएं। • कक्षा में लड़कियों की अहमियत से संबंधित सत्र चलाएं। • लड़कियों और लड़कों दोनों पर बाल विवाह के प्रभाव पर आधारित सत्र/बहस और चर्चा कराएं। • निर्णय लेने और परस्पर बातचीत को प्रोत्साहित करें। • युवाओं को “नहीं” कहना सिखाएं। • बाल विवाह को रोकने के लिए युवाओं का एक समूह तैयार करें। • अध्यापिकों के साथ जागरुकता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। • विद्यार्थियों के साथ बातचीत के लिए सहयोगी रवैया अपनाएं – बाल विवाह और भाग जाने के मुद्दों के दोनों पक्ष योजनाओं और नई जानकारी के बारे में उन्हें बताएं। • लड़कियों के लिए विशेष रूप से उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम जानकारी और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना। • शिक्षकों को भेदभाव और जानबूझकर या अनजाने में लिंग पक्षपाती बयान नहीं देना चाहिए। • किशोर लड़कियों के अनुकूल शौचालय सुनिश्चित करना जिससे स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्रोत्साहित मिले और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में कमी हो। जहाँ कई लड़कियाँ को माहवारी की शुरुआत में स्कूल से बाहर हो जाती है। • युवा समितियों को सहयोग दें जिससे वे बाल विवाह के होने से पहले इसकी सूचना दे सकें। • क्षेत्र में दूसरे विद्यालयों के अध्यापकों के साथ एक नेटवर्क स्थापित करें।

अंत में, इस मॉड्यूल में सक्रिय सहभागिता के लिए सभी सहभागियों को धन्यवाद दें और उन्हें संलग्नक: संलग्नक 4 - सहभागियों द्वारा शपथ ग्रहण की प्रतियां दें। सबसे बाद में, सहभागियों को बाल विवाह, माध्यमिक स्कूल को छोड़ने, लिंग आधारित यौन हिंसा, दहेज तथा समुदाय में महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध उत्पीड़न/हिंसा का उन्मूलन करने के लिए शपथ दिलाएं, इसके लिए सहभागियों से अपने साथ-साथ शपथ को दोहराने के लिए कहें।

© Breakthrough/India

संलग्नक

संलग्नक 1

मानव अधिकार क्या हैं?

मानव अधिकार वे बुनियादी बातें हैं जिनके बिना लोग गरिमा के साथ नहीं रह सकते। किसी के मानव अधिकारों का उल्लंघन करना ऐसा व्यवहार करना है कि व्यक्ति मानो महिला या पुरुष, मनुष्य ही नहीं थे।लैंगिक भेदभाव तब होता है जब लड़के या लड़कियों को अपने मानव अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करने और लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है। उदाहरण के लिए जब लड़कियों से घर की देखभाल या विवाह करने के लिए कम उम्र में ही स्कूल छोड़ने के लिए कहा जाता है। जबकि उसी परिवार में लड़कों की शिक्षा को प्रोत्सा हन दिया जाता है क्योंकि वह अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कमाई करेगा।समाजीकरण की प्रक्रिया पुरुषों और महिलाओं दोनों के अपने अधिकारों का उपयोग करने के तरीके को प्रभावित करती है।

मानव अधिकारों के बारे में जानने के लिए हम सम्मान, निष्पक्षता, न्याय और समानता के विचारों के बारे में शिक्षा प्राप्त करते हैं। हम अपने स्वयं के अधिकारों का समर्थन करने और दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने के लिए अपनी जिम्मेदारी के बारे में भी सीखते हैं।

मानव अधिकारों के अंतर्गत करीब 30 अनुच्छेद हैं जिनपर दुनिया भर के लोगों ने संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पर हस्ताक्षर करके सहमति व्यक्त की है। किशोरवय के मामले में लागू अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण अधिकारों में शामिल हैं:

- जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार
- यातना से मुक्ति
- निष्पक्ष सुनवाई
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- धर्म की स्वतंत्रता
- स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-यापन का योग्य मानक

सरकारों की विशेष जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि लोग अपने अधिकारों का लाभ उठाने में सक्षम हों। वे उन कानूनो और सेवाओं की स्थापना करने और उन्हें बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं जो अपने नागरिको को जीवन जिसमें उनके अधिकारों का पालन किया जाता है, का आनंद लेने में सक्षम बनाती हैं।

हमारी अन्य लोगों और समुदायों के प्रति भी जिम्मेदारियां और कर्तव्य हैं। व्यक्तियों की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि वे दूसरे के अधिकारों के लिए यथोचित आदर के साथ अपने अधिकारों का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करता है, तो उन्हें किसी को नीचा दिखाने के लिए भड़काऊ भाषण देकर या अभद्र भाषा का प्रयोग करके किसी और के सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

मानव अधिकार समाज में, परिवार, समुदाय, शैक्षिक संस्थानों, कार्यस्थलों में, राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सभी स्तरों पर दूसरों के साथ लोगों के बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण भाग हैं। इसलिए हर जगह के लोगों को न्याय, समानता, और समाज की भलाई को सुनिश्चित करने के क्रम में मानव अधिकारों को समझने का प्रयास करना चाहिए, जो अत्याावश्यक है, लेकिन लोगों के अधिकारों का अक्सर उल्लंघन होता रहता है। प्राय: इसका शिकार लड़कियां और महिलाएं होती हैं जो जीवन, शिक्षा, कार्य और ऐसे ही अपने कई अधिकारों से वंचित रह जाती हैं।

किसी के भी अधिकारों का हनन हो सकता है। सबसे अधिक जिस अधिकार का उल्लंघन होता है, वह है अपने जीवन में हिंसा का सामना करना – घरेलू हिंसा या यौन उत्पीड़न/ हिंसा।

समूह अभ्यास :

अपने-अपने समूहों में चर्चा करें और तालिका में भरें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है।

मेरा अधिकार:	जिसका अर्थ है:	आवश्यक संसाधन:	जिम्मेदार व्यक्ति:
जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा	टॉयलेट के उपयोग में सुरक्षा	विद्यालयों और घर में सुरक्षित टॉयलेट	माता-पिता अध्यापक
यातना से मुक्ति			
निष्पक्ष सुनवाई			
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता			
धर्म की स्वतंत्रता			
स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-यापन का योग्य मानक			

संलग्नक 2

बाल विवाह: मानव अधिकारों का उल्लंघन?

स्वास्थ्य और बाल विवाह:

मीना की आयु 15 वर्ष है और वह एक गांव में रहती है। वह कक्षा 9 में पढ़ती है। एक दिन, एक पड़ोसी उसके पिता के पास उसके और अपने भतीजे का विवाह प्रस्ताव लेकर आया। भतीजा छत्तीसगढ़ में रहता है और ईंट के भट्ठे पर एक श्रमिक का काम करता है, प्राय: वह दूसरे राज्यों में जाता रहता है। मीना विवाह को लेकर बहुत परेशान हो गई, लेकिन उसके पिता ने समझाया कि यह बहुत ही अच्छा: मौका है और एक माह में उसकी शादी कर दी गई।

एक वर्ष बाद, 16 वर्ष की आयु में, मीना ने एक शिशु कन्या को जन्म दिया। गर्भावस्था के दौरान उसे उचित भोजन या स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाई। अधिकांश समय, उसका पति काम पर ही रहता था। क्योंकि वह घर आता-जाता रहता था, इसलिए वह उसे नियमित रूप से पेसे भी नहीं भेज पाया। गर्भावस्था का दौर उसके लिए बड़ा ही कठिन रहा और प्राय: वह कमजोर और बीमार रहती थी। जन्म लेने वाले बच्चे का वजन कम था और वह कुपोषित भी था।

अगले कुछ महीनों में, उसे बार-बार बुखार आ जाता था, अन्धौरी निकल आती थीं, वह अक्सर थकी रहती थी और गले के चारो-ओर सूजन आ गई थी। वह एक डॉक्टर के पास गई जिसने उसे खून की जांच की सलाह दी; जिससे यह पता चला कि वह एचआईवी पाजिटिव है। जैसे ही उसके सास-ससुर को यह ज्ञात हुआ, उन्होंने उसके चरित्र पर उंगली उठाई और उसे उसकी बेटी से दूर कर दिया। अब उसकी बेटी भी बीमार रहने लगी। वह अपने माता-पिता के पास गई, लेकिन उन्हों ने भी उसे दूर कर दिया।

आपकी समूह चर्चा में:

- किन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और कैसे?
- इन उल्लंघनों का लड़की पर क्या असर हुआ?

चयन का अधिकार और बाल विवाह:

रमा एक गांव में रहती थी जोकि एक शहरी इलाके के बहुत करीब था। प्रति वर्ष, विद्यालय में उसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था। जब उसे कक्षा 9 में प्रोन्नत किया गया, उसके पिता ने उसे एक मोबाइल फोन उपहार के रूप में दिया हालांकि रमा की मां इसे सही नहीं मानती थीं।

रमा के कुछ मित्र थे जिनके साथ वह अंग्रेजी कोचिंग क्लास में जाती थी। वह अपने दोस्तों के साथ अक्सर बाते करती थीं, विशेषकर फोन मिलने के बाद। हालांकि, उसके पिता उसे उसका मित्रों के साथ “स्वतंत्र” रहना पसन्द नहीं करते थे।

एक दिन उसने ध्यान दिया कि उसके माता-पिता ने उसके लिए वर देखना शुरू कर दिया है। उसने उन्हें बताया कि वह शादी की जगह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। उसके पिता को सन्देह हुआ कि कहीं वह किसी के साथ संबंध में तो नहीं है। पे इस बात पर अड़ गए कि उसे उसी से शादी करनी चाहिए जिसे उन्होंने चुना है।

अगले दिन, अपने विद्यालय के रास्ते में, वह अपने एक मित्र प्रतिम से मिली और उससे बताया कि उसके घर में क्या हो रहा है। रमा और प्रतिम दोनों उस दिन विद्यालय नहीं गए और रमा की समस्या का हल ढूंढने के लिए उन्होंने सारा समय एक पार्क में बिताया। जब वह प्रतिम के साथ अपने घर लौट रही थी, तो रास्ते में उसके पिता मिल गए। उसके पिता ने उसे डांटा और उससे तुरन्त ही घर लौट जाने को कहा।

रमा उस दिन घर नहीं लौटी।

रमा के पिता ने पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया है जबकि उन्हें सन्देह था कि ये सच नहीं है।

अगले दिन उन्हें पता चला कि रमा ने अपने दोस्त प्रतिम के साथ शादी कर ली है और वह अपनी ससुराल में है।

वह अपने क्षेत्र के कुछ प्रभावशील लोगों को लेकर रमा की ससुराल गए और लड़के को पीटा। उसके पिता ने सोचा कि इसके बाद रमा वापस घर लौट आएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी मर्जी से प्रतिम से शादी की है और उसका अपहरण नहीं किया गया है।

आपकी समूह चर्चा में:

- किन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और कैसे?
- इन उल्लंघनों का लड़की पर क्या असर हुआ?

शिक्षा, रोजगार और बाल विवाह :

श्रेया एक निर्धर परिवार से है। बचपन से ही, वह पढ़ाई में बहुत अच्छी् थी। उसके दो भाई थे जिनके साथ वह स्कूल और ट्यूशन भी जाती थी।

कक्षा 9 में पहुंचने पर, उसकी उम्र 15 वर्ष थी, उसके माता-पिता ने उसका विवाह एक ऐसे वयक्ति से कर दिया जोकि टेलर का काम करता था।

अपनी शादी के बाद, श्रेया अपनी पढ़ाई फिर से करना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं मिली। अगले तीन वर्षों में, उसने दो शिशुओं को जन्म दिया। धीरे-धीरे, उसके पति का व्यवसाय ठप्प हो गया। उसे लगातार परेशान किया जाने लगा और उसका पति उससे बार-बार कहता कि उसे कमाना और बच्चों का पेट पालना चाहिए।

वह इस स्थिति से बाहर निकलना चाहती थी। उसने आंगनवाड़ी कर्मचारी के लिए खाली जगह के बारे में सुना और उसने इसके लिए आवेदन कर दिया। उसे नौकरी नहीं मिली और उसे पता चला कि इसके लिए जरूरी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यरता कक्षा 10 है।

आपकी समूह चर्चा में:

- किन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और कैसे?
- इन उल्लंघनों का लड़की पर क्या असर हुआ?
- यदि श्रेया ने दसवीं कक्षा पूरी की होती तो उसके जीवन में क्या सुधार होता?

हिंसा और बाल विवाह :

दिसम्बर की एक सुबह जब राधा ट्यूशन से अपने घर लौट रही थी, उसने सुना कि उसकी एक घनिष्ठ मित्र मिनी का पिछले दिन बलात्कार हो गया। उस घटना के एक सप्ताह के अन्दर, राधा के पिता ने उसकी शादी करने के लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी। दूल्हा उससे 14 वर्ष बड़ा था। राधा उस समय 15 वर्ष की थी और आगे पढ़ाई करना चाहती थी। वह आत्म-निर्भर इंसान बनना चाहती थी। वह बेसिक कंप्यूटर में एक एक कोर्स कर रही थी। उसने इस बारे में अपने पिता को बताने का प्रयास किया, लेकिन उन्हों ने मना कर दिया और कहा कि यदि मिनी की तरह ही उसके साथ भी कुछ ऐसा हो गया, तो कोई उसे छुएगा भी नहीं, और वह समाज में अपनी इज्जत खो बैठेंगे।

इस तरह, राधा ने अपनी पढ़ाई छोड़कर शादी कर ली। पहले दिन, उसके सास-ससुर ने उससे अपने पिता के पास से 30,000 रुपये लाने के लिए कहा। उनका कहना था कि यह उनकी बेटी के अधिक सांवले होने का मुआवजा है।

धीरे-धीरे, सुबह सोकर उठने से लेकर घर के सभी कार्य उसी से कराए जाने लगे, आमतौर पर वह सुबह दूसरे परिवार के सदस्यों से पहले ही उठ जाती थी। रात में भी उसे सभी के सोने के बाद ही सोने की अनुमति थी। मुश्किल से ही उसे खाने के लिए पर्याप्त भोजन दिया जाता था; उससे कहा जाता था कि यह और अधिक दहेज न लाने के कारण उसे मिलने वाली सजा है।

वह अपने पति से बात करने में संकोच करती थी क्योंकि वह उससे काफी बड़ा था। पिछली बार जब उसने पति से अनुरोध किया था, तब उसके पति ने उसे खर्च के लिए पैसे देने से मना कर दिया था; इससे घर की स्थिति के बारे में अपने पति से बात करते हुए उसे डर लगता था। जब उसका पति चाहता था उसके साथ यौन संबंध बनाता था, जिससे उसे काफी असुविधा भी होती थी। वह इस बात की परवाह नहीं करता था कि वह क्या सोचती या चाहती है।

हालांकि राधा अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहती थी, लेकिन कोई भी इसे जरूरी नहीं समझता था। कुछ महीनों बाद राधा को पता चला कि उसके पति का उसी के साथ काम करने वाली सहकर्मी से संबंध है। उसने महसूस किया कि उसका पति न केवल उसे पीटता है बल्कि वह उसके साथ इंसान जैसा बर्ताव भी नहीं करता।

आपकी समूह चर्चा में:

- किन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और कैसे?
- इन उल्लंघनों का लड़की पर क्या असर हुआ?

संलग्नक 3

रोल-प्ले

रोल-प्ले - शाजिया

शाजिया 15 वर्ष की एक बहुत ही खुशमिजाज लड़की है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन वह बेहद स्मार्ट और बुद्धिमान है और कई स्पर्धाओं और क्रियाकलापों में भाग लेती है। हर कोई शाजिया के साथ रहना पसन्द करता है। एक दिन, कक्षा शान्त है; हर कोई चुप है। अध्यापक ने इस बारे में पूछता है लेकिन कोई भी कोई उत्तर नहीं देता है। कुछ क्षणों बाद, आप शाजिया को ढूढते हैं लेकिन पाते हैं कि वह अनुपस्थित है। अध्यापक खेल-खेल में पूछते हैं कि "आज कक्षा का ग्रामोफोन कहां है? क्या इसलिए आप सब शान्त हैं?"

हर कोई दुखी लग रहा है और फिर एक लड़की उठती है और कहती है कि, "सर, शाजिया की शादी हो रही है। उसके पिता ने कहा कि आज के बाद वह स्कूल नहीं आएगी।"

यहां से रोल-प्लेल का चित्रण करें। दिखाएं कि आप क्या सोचते हैं कि एक स्कूल के अध्यापक को क्या करना चाहिए। यह आपकी इच्छा है कि आप इसे अपने तरीके से दिखाएं ।

रोल-प्ले - अनन्त

अनन्त की आयु 16 वर्ष है और एक दिन वह एक नई साइकिल से स्कूल आता है। हर कोई उसकी नई चमकदार साइकिल को आकर घेर लेता है और इसे छूना चाहता है, इसे चलाना चाहता है। अनन्त स्वयं को बहुत ख़ास अनुभव करता है और सभी के साथ मजाक करता है कि एक लड़का होने के बड़े फायदे हैं। बहुत हंसी-मजाक होता है। आप भी उसकी नई बाइक के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं लेकिन आपको आश्चर्य भी होता है कि – अनन्त का परिवार शायद ही इस तरह की बाइक खरीद सके और फिर आप उससे पूछते हैं कि वह उसे कहां से मिली। वह बड़ी ही शान से जवाब देता है "यह तो बस शुरूआत है, सर, यह तो मेरी होने वाली दुल्हन के साथ सगाई करने पर मिली है। देखिएगा कि मेरी शादी पर क्या होता है"।

यहां से रोल-प्ले का चित्रण करें। दिखाएं कि आप क्या सोचते हैं कि एक स्कूल अध्यापक को क्या करना चाहिए। यह आपकी इच्छा है कि आप इसे अपने तरीके से दिखाएं।

रोल-प्ले - सुनैना

सुनैना के माता-पिता बहुत ही प्यार करने वाले हैं और वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। वे उसे विद्यालय आने तथा खेलों व अन्य क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक दिन, वे समय निकालकर उसके अध्यापक से मिलना चाहते हैं। वे बहुत ही गम्भीर और दु:खी हैं। वे अध्यापक को बताते हैं कि गांव के लोग और पंचायत के नेता उन पर सुनैना की शादी के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं- वे कहते हैं कि सुनैना की शादी की जानी चाहिए और उसे उसके ससुराल भेज देना चाहिए, क्योंकि वह बहुत लम्बीड है और बड़ी दिखती है। नेता ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वह 'स्वतंत्र' है, वह गांव में दूसरी लड़कियों के लिए गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, जो उसकी नकल कर रही हैं। सुनैना के माता-पिता अब अध्यापिक की ओर मदद की निगाह से देख रहे हैं और कहते हैं कि, "कुछ करें"।

यहां से रोल-प्ले का चित्रण करें। दिखाएं कि आप क्यो सोचते हैं कि एक स्कूल अध्यापक को क्या करना चाहिए। यह आपकी इच्छा है कि आप इसे अपने तरीके से दिखाएं ।

संलग्नक 4

सहभागियों द्वारा शपथ ग्रहण

शपथ लेना

(बाल विवाह, सामाजिक लिंग-पक्षपातपूर्ण लिंग चयन, दहेज और महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ उत्पीड़न/हिंसा को समाप्त करने के लिए)

मैं, भारत की नागरिक शपथ लेता/लेती हूं कि:

मैं ऐसे किसी भी व्यक्त के विवाह में शामिल नहीं हुंगा/हुंगी जिसकी उम्र विवाह के लिए निर्धारित उम्र से कम है। जो लडकों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है।
मैं अपने माता-पिता, रिश्तेदारों और समुदाय को भी ऐसा नहीं करने के लिए कहूँगा/कहूँगी।

मैं लड़कियोंके अधिकारों के लिए बातचीत और काम करुंगा/करुंगी और लड़कियों के लिए बेहतर शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और संपत्ति या विरासत में समान हिस्सेदारी के लिए उनका समर्थन करुंगा/करुंगी।

मैं सभी बच्चों को हिंसा और उत्पीड़न-शारीरिक, मानसिक या किसी अन्य तरह की उपेक्षा से बचाने के लिए अपनी सत्ता के अनुसार हर संभव प्रयास करुंगा/करुंगी।
में अपने समुदाय मैं दहेज प्रथा को समाप्त करने का पूर्ण प्रयास करुँगा/करुँगी

मैं अनुचित व्यव्हार न करके महिलायों और लड़कियों के प्रति सम्मान जनक व्यव्हार करुगी/करुँगा- चाहे वो घर हो,सड़क हो, काम करने की जगह या कहीं और.

मैं हिंसा और बाल दुर्व्यवहार- शारीरिक, भावनात्मक या किसी भी तरीके की लापरवाही से सभी बच्चों की सुरक्षा करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ करुंगा।

टिप्पणी

टिप्पणी

टिप्पणी

टिप्पणी

breakthrough
human rights start with you

E-1A, First Floor, Kailash Colony, New Delhi 110 048, India
☎ 91-11-41666101 🖷 91-11-41666107

✉ contact@breakthrough.tv

www.inbreakthrough.tv
/BreakthroughIN
@INBreakthrough

unicef
unite for children

73 Lodi Estate, New Delhi 110 003, India
☎ 91-11-24690401 🖷 91-11-24627521

✉ newdelhi@unicef.org

www.unicef.in
/unicefindia
@UNICEFIndia